खण्ड-209, अंक-2
शनिवार, 24 माघ, शक संवत् 1881
(13 फरवरी, 1960 ई0)

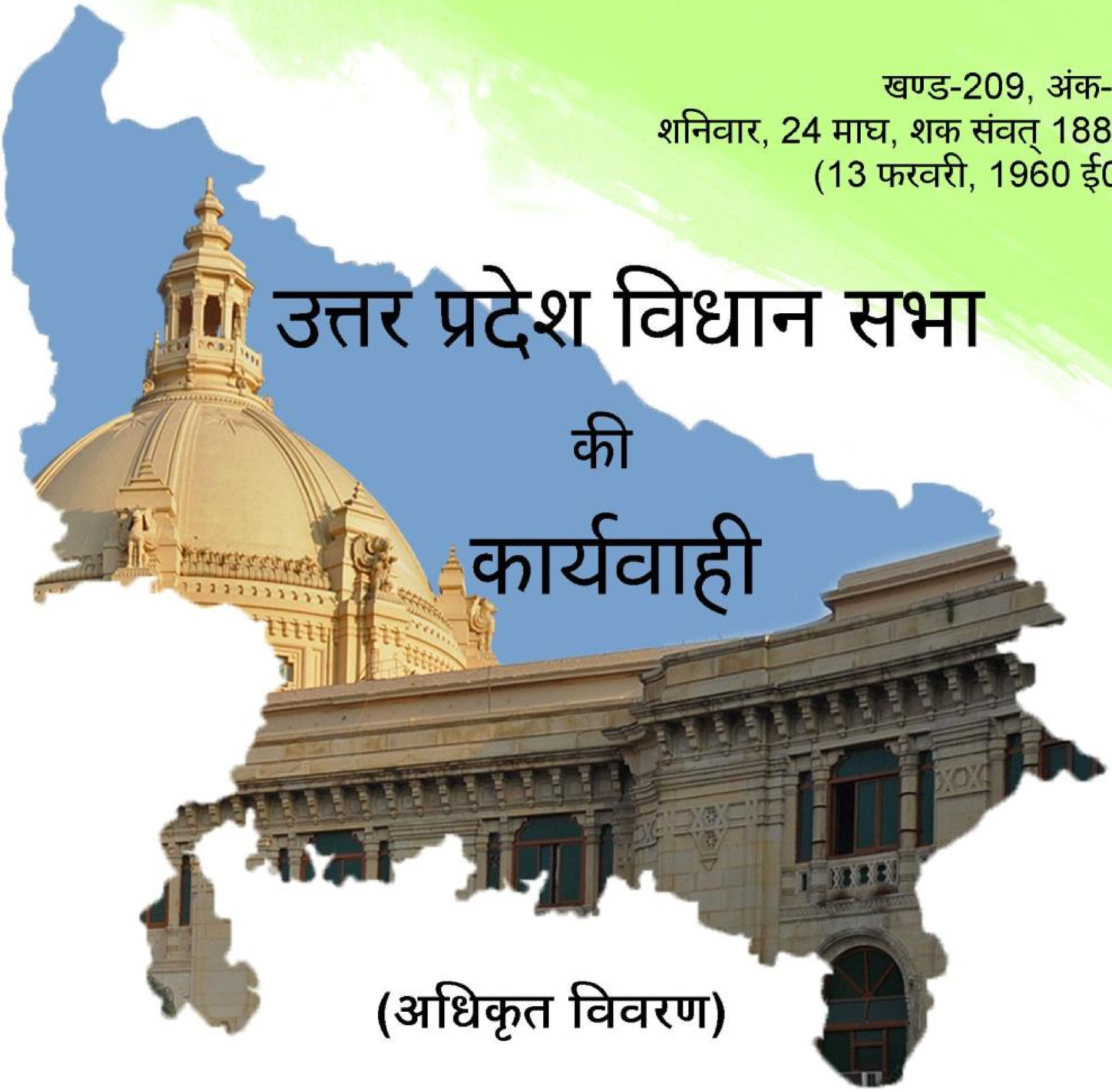

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 209 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १३ फरवरी, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ३।। बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४३

अक्षयवरसिंह, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कम्लेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री

गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
छत्रसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बालकराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बालेश्वर प्रसादसिंह, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगौती प्रसाद दुबे श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोनहलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायणत्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
राम सिंह,चौहान, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह, चौधरी श्री
लालबहादुर, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

साढ़े तीन बजे से सदन की बैठक करने के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्तियां

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे आप की सेवा में यह निवेदन करना है कि प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १६ में, जिसमें उपवेशन का समय निर्धारित किया गया है, यह बात कही गई है---

"(१) सभा ११ बजे पूर्वान्ह से ५ बजे अपरान्ह तक समवेत होगी:

परन्तु विशेष परिस्थितियों में सदन संकल्प द्वारा बैठक के समय को बढ़ा सकेगा। अध्यक्ष स्वयं भी बैठक का समय १५ मिनट के लिये बढ़ा सकेंगे।

(२) जब तक कि सदन अन्यथा निश्चय न करे, शनिवार, रविवार तथा अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के दिन कोई उपवेशन नहीं होगा।"

मेरा निवेदन यह है कि चूंकि सदन ने ऐसा कोई निश्चय नहीं किया था कि ११ बजे के बजाय साढ़े तीन बजे आज का उपवेशन शुरू हो, इसलिये मैं समझता हूं कि यह आज की बैठक सदन की नियमावली के नियमों के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष--यह बैठक नियमों के अनुसार ही है। मुझे इस विषय में यह अधिकार है कि मैं कोई भी बैठक स्थगित कर दूं और किसी समय के लिये कर दूं। अगर बैठक चल भी रही हो तो भी मैं उसको स्थगित कर सकता हूं। कल शाम को बैठक स्थगित करते समय मैंने यह घोषणा की थी कि चूंकि आज ११ बजे से कोई काम नहीं था इसलिये बैठक साढ़े तीन बजे आरम्भ होगी।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)-- अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत आप को ऐसा करने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष--मैंने उसमें नियम दे दिया था।

*श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है। प्रक्रिया नियमावली के नियम ३१६ और ३१७ में आप को अधिकार दिये गये हैं। नियम ३१७ में आप को जो अधिकार मिला है वह समय बढ़ाने का मिला है, घटाने का नहीं मिला है। नियमावली में कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिसमें किसी भी व्यक्ति को ऐसा अधिकार दिया गया हो।

श्री अध्यक्ष--३१६ नियम का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया।

श्री जगन्नाथ लहरी--नियमों में कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिसमें समय घटाने की व्यवस्था की गई हो। तो जब समय घटाने की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी अवस्था में ११ बजे की जगह साढ़े तीन बजे अधिवेशन का बुलाना पूर्णतया अनियमित है। मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम के मुताबिक ११ बजे के स्थान पर साढ़े तीन बजे आज की बैठक बुलाई गई है ?

श्री अध्यक्ष--नियम १८ आप देखें। वह इस प्रकार से है :--

"अध्यक्ष स्वयं अथवा सभा के तद्विषयक संकल्प पर, सभा की बैठक को स्थगित कर सकेंगे. . . . ."

बैठक को स्थगित करने का अधिकार मेरे पास है। मैं बैठक को कुछ मिनटों के लिये, किसी भी समय के लिये या कितने ही दिनों के लिये स्थगित कर सकता हूं। तो कल मैंने बैठक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

स्थगित करते समय एनाउन्स कर दिया था कि चूंकि कल कोई काम नहीं है ११ बजे से इसलिये बैठक ११ बजे से न हो कर साढ़े तीन बजे से होगी। कल ही मैंने ऐसी घोषणा कर दी थी, लेकिन आप में से कुछ लोग पहले ही चले गये थे। मैंने यह भी अन्दाजा लगा लिया था कि चूंकि कानूनदां लोग मौजूद हैं, वह आपत्ति करेंगे, इसलिये मैंने शुरू से ही इस बात को समझ कर उचित घोषणा कर दी थी। इसलिये यह वैध है। अब माननीय वित्त मन्त्री जी अपना बजट पेश करेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)-- श्रीमन्, मेरा एक दूसरा वैधानिक प्रश्न है बजट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में। संविधान की धारा २०२ में यह लिखा है:--

"The Government shall in respect of every financial year cause to be laid before the House or Houses of the Legislature of the State a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for that year, in this Part referred to as the "annual financial statement".

तो गवर्नर साहब को यह अधिकार है कि वह बजट प्रस्तुत करने की तिथि तय करें। कौन-सी तिथि तय करेंगे? वह तय करेंगे जिस दिन हमारे सदन की कार्यवाही हो रही है। हमारे सदन की कार्यवाही में शनिवार का दिन नहीं है। साढ़े तीन बजे से बैठने का फैसला आप ने कर लिया, यह आप ने अभी कहा। हमारे पास ३० जनवरी, १९६० का परिपत्र जो आपके कार्यालय से भेजा गया वह है। उसमें लिखा है:--

> "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २०५ तथा २०२ के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १९५ तथा १८४ के अनुसरण में राज्यपाल महोदय ने वित्तीय वर्ष १९५९-६० के द्वितीय पूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करने के लिये १० फरवरी, १९६० का दिन तथा वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के आय-व्ययक को प्रस्तुत करने के लिये १३ फरवरी, १९६० का दिन (समय साढ़े ३ बजे) निर्धारित किया है।"

जब हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि हमने फैसला किया कि साढ़े तीन बजे बैठक होगी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब शनिवार को बैठक होनी तय नहीं हुई थी तो ३० जनवरी को किस तरह से राज्यपाल महोदय ने कहा कि शनिवार को साढ़े तीन बजे बैठक होगी?

श्री अध्यक्ष--जो नोटिस हमारा दफ्तर माननीय सदस्यों के पास भेजता है वह इस सहूलियत के लिये भेजता है कि उनको पहले से सूचना मिल जाय। उसमें वैधानिकता की बात आप खुद देख लें। हर शनिवार के लिये इस नोटिस में लिखा हुआ है "यदि इस दिन के लिये सदन बैठक करने का निश्चय कर ले।" अगर आप निश्चय करते कि शनिवार को "नहीं बैठना है" तो आज मैं बजट को उपस्थित होने नहीं देता चाहे गवर्नर महोदय ने कुछ भी लिखा होता। मैं इजाजत नहीं देता क्योंकि वैधानिकता तो मैं निश्चय करता हूं। मैंने उसको उस वक्त वैधानिक करार दिया है जबकि शनिवार को बैठने का निश्चय किया गया।

जहां तक साढ़े तीन बजे उपस्थित किये जाने की बात है, इसके बारे में नेता सदन और मुझ में चर्चा होती है कि वह किस वक्त उपस्थित कर सकते हैं। वह साढ़े तीन बजे के पहले अगर उपस्थित कर सकते होते तो मैं ११ बजे के लिये कहता। लेकिन साढ़े तीन बजे वह उपस्थित कर सकते थे और यह उन्होंने पहले से ही निश्चय कर रखा था। वैधानिक रूप उस का तब हुआ जब कि शनिवार को बैठने के लिये निश्चय हुआ। सदन में यह निश्चय हुआ था कि साढ़े तीन बजे तक एक बिल चलेगा और उसके बाद बजट आने वाला था। लेकिन साढ़े तीन बजे तक के लिये कोई काम नहीं रहा। तो साढ़े तीन बजे से बैठने का मैंने निश्चय कर लिया था। वैधानिक है यह, उसमें कोई अवैधानिक बात है नहीं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, हमारा प्रश्न आप के कार्यालय से नहीं था। हमारा प्रश्न यह है कि नियमावली के मुताबिक राज्य पाल महोदय जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाय उसकी तिथि देते हैं। तो राज्यपाल महोदय ने शनिवार की तिथि कैसे दे दी ?

श्री अध्यक्ष--मैं राज्यपाल के वकील की हैसियत से यहां नहीं बैठा हूं बल्कि अध्यक्ष की हैसियत से बैठा हूं।

श्री राजनारायण--राज्यपाल महोदय ने कैसे निश्चित कर दिया ?

श्री अध्यक्ष--यह आप राज्यपाल से जा कर पूछिये। इस वक्त बजट का प्रस्तुत करना वैधानिक दृष्टि से ठीक है, यह मैं निर्णय दे रहा हूं। बस इतना काफी है।

१९६०-६१ का आय-व्ययक

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, मैं १९६०-६१ का बजट पेश करता हूं।

(बजट की प्रतियां वितरित की गयीं।)

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह बांटा जा रहा है तब तक मैं अपनी एक शंका और रख दूं।

श्री अध्यक्ष--आप मेरे पास यहां आ जाइये।

(श्री राजनारायण ने श्री अध्यक्ष के पास जाकर कुछ बातचीत की बजट की प्रतियां बंटने के उपरान्त)

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, मैं १९६०-६१ का बजट पेश करता हूं।

किसी सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था में, जिसमें एक निश्चित अवधि के भीतर सम्पूर्ण समाज के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में तेजी से सुधार करने की समुचित व्यवस्था होती है, वार्षिक बजट का एक विशेष महत्व है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का व्यापक उद्देश्य जनसाधारण के लिये रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना, उत्पादन बढ़ाना और उसका ठीक-ठीक वितरण सुनिश्चित करना है जिससे कि उनका रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो सके। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह काम तो बहुत बड़ा है। विशेषकर जब हम इस बात को ध्यान में रखें कि कुछ वर्ष पहले जब हमने अपने लिये यह उद्देश्य निर्धारित किया था तो उस समय हमारे उत्पादन तथा रहन-सहन के स्तर बहुत ही गिरे हुये थे। हमने जो प्रगति इस समय तक कर ली है इससे यह निश्चित रूप से जाहिर होता है कि हमारे देशवासियों ने इसका पक्का संकल्प कर लिया है कि अपनी आर्थिक और बौद्धिक काबलियत बढ़ाकर ही दम लेंगे। ऐसी सूरत में योजना की अन्तरिम अवधियों में वार्षिक बजट बनाने का उद्देश्य केवल साधनों की मांग तथा पूर्ति में संतुलन करना ही नहीं रह जाता। जैसे-जैसे विकास होता है, समाज के सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में अनिवार्य रूप से कुछ असंतुलन पैदा हो जाता है। इसलिए कुछ मांगों में विभिन्नता आ जाती है और कुछ में तीव्रता। यदि इस असंतुलन को नजरअंदाज कर दिया जाय या उसे ठीक न किया जाय, तो हो सकता है कि योजना के बहुत से उद्देश्यों में से कुछ पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगे और उससे सारी अर्थ-व्यवस्था में ही गड़बड़ी पैदा हो जाय। इसका फल यह होगा कि मुख्य उद्देश्य की पूर्ति में विलम्ब हो जायगा।

हमारे विकास कार्यक्रम का क्षेत्र इतना व्यापक है और उसे कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित साधन, धन संबंधी साधनों को छोड़कर, इतने भिन्न-भिन्न और बहुत से मामलों में हमारे नियंत्रण से पूर्णतया इतने बाहर हैं कि हमेशा यह सुनिश्चित करना संभव नहीं होता कि समस्त विकास-कार्य निर्बाध रूप से निर्धारित क्रम के अनुसार होता रहेगा। परिणामस्वरूप कुछ निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा करने में अनुमान से थोड़ा अधिक समय लग सकता है और

[श्री सैयद अली जहीर]

कुछ की गति निर्धारित क्रम से भी तेज हो सकती है। केवल वास्तविक अनुभव से ही यह पता चल सकता है कि किन क्षेत्रों में कार्यक्रमों की गति लाभप्रद ढंग से तेज की जा सकती है तथा उसे तेज होना चाहिये और किन क्षेत्रों में यह प्रगति अनिवार्य रूप से धीमी करनी होगी।

एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम अपनी योजनायें संवृत अर्थ-व्यवस्था (closed economy) में तैयार नहीं कर रहे हैं। विदेश की, विशेषकर पड़ोसी देशों की राजनीतिक घटनाओं का भी हमारे विकास-कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त हमारे कार्यक्रम का जैसे ही एक दौर पूरा होता है, शासन के लिये नई तथा अतिरिक्त जिम्मेदारियां पैदा हो जाती हैं जिन्हें हमें उपलब्ध साधनों से ही पूरा करना होता है। इन सब प्रवृत्तियों को देखकर ही हमें वार्षिक बजट के तखमीने तैयार करने होते हैं।

यह भी एक विशेष महत्व की बात है कि यह बजट वर्ष दूसरी पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है। मैंने अभी जो कहा है उसे ध्यान में रखकर हमको इस वर्ष यह सुनिश्चित करना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अधिक से अधिक प्रयत्न किये जायं और साथ ही अब तक जो कमियां दिखाई पड़ी हैं उन्हें अगली योजना में दूर करने के लिये पर्याप्त उपाय किये जायें। मैं सदन से यह निवेदन करता हूं कि जो तखमीनें मैं पेश करने जा रहा हूं उन्हें वह इसी दृष्टिकोण से देखें।

मैं अब इस राज्य की १९५८–५९ की वास्तविक आय तथा व्यय के आंकड़ों, १९५९–६० के संशोधित तखमीनों और १९६०–६१ के बजट के तखमीनों की चर्चा करूंगा।

१९५८–५९ के मूल बजट में राजस्व प्राप्तियों तथा व्यय के तखमीने क्रमशः १०८.२३ करोड़ रुपये तथा ११२.७७ करोड़ रुपये लगाये गये थे। इस प्रकार राजस्व घाटा ४.५४ करोड़ रुपये का था। किन्तु उस साल के वास्तविक आंकड़ों से यह मालूम हुआ कि १.०९ करोड़ रुपये की बचत हुई क्योंकि राजस्व प्राप्तियां बढ़कर ११७.२३ करोड़ रुपये हो गईं और राजस्व व्यय ११६.१४ करोड़ रुपया हुआ। बिक्रीकर से होने वाली प्राप्तियों में मुख्यतया पिछले बकाये वसूल हो जाने, अन्तर-राज्य बिक्री कर से अधिक प्राप्तियां होने और करापवंचन (tax evasion) को रोकने के लिये विभिन्न कार्यवाहियां किये जाने के कारण ३७७ लाख रुपय की बढ़ोत्तरी हुई। विविध विभागों की प्राप्तियों में १६७ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी हुई जिसका मुख्य कारण यह था कि सरकारी रोडवेज के मुसाफिरों तथा उसके अन्तर्गत मीलों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने से सरकारी बस सेवाओं से अधिक आय हुई। इमारती लकड़ी और विविध वन्य उपज (timber and miscellaneous forest produce) की बिक्री से ८२ लाख रुपये अधिक प्राप्त हुए। मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट (Motor Vehicles Act) के अन्तर्गत प्राप्तियों में ७३ लाख रुपये और राजकीय आबकारी (State Excise) से होने वाली प्राप्तियों में ६९ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी हुई। संघ उत्पाद शुल्कों (Union Excise Duties) में राज्य का हिस्सा ६७ लाख रुपया अधिक रहा और कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते के व्यय को पूरा करने के लिये ६४ लाख रुपये की अधिक धनराशि भारत सरकार से राज सहायता के रूप में प्राप्त हुई। दूसरी ओर मालगुजारी की वसूलियों में ६४ लाख रुपये की कमी हुई जिसका मुख्य कारण यह था कि बाढ़ और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मालगुजारी में छूट दी गई और मालगुजारी मुल्तवी की गई। राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजनाओं (National Extension Service Schemes) और स्थानीय विकास निर्माण-कार्यों (Local Development Works) के लिये भारत सरकार से राज सहायता तथा अनुदानों के रूप में ८४ लाख रुपये कम प्राप्त हुए और केंद्र से अन्य विकास योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता के रूप में ७८ लाख रुपया कम प्राप्त हुआ। इस वर्ष बाढ़ों तथा अन्य दैवी आपदाओं

(natural calamities) से ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता के कार्यों में अत्यधिक व्यय हुआ जिसके कारण व्यय में १४१ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी हुई। अधिकतर इसकी पूर्ति दुर्भिक्ष सहायता निधि (Famine Relief Fund) से की गई। परिवहन विभाग के व्यय में ४८ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी हुई जिसका मुख्य कारण सरकारी रोडवेज के अन्तर्गत आने वाली सड़कों के मीलों की संख्या में वृद्धि थी। इस वर्ष राजस्व की स्थिति को देखते हुए राजस्व सुरक्षित निधि (Revenue Reserve Fund) में २३० लाख रुपये की धनराशि संक्रमित की जा सकी। 'ऋण कम करने या उससे बचने' के अन्तर्गत व्यय में भी ६५९ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी हुई जिसका मुख्य कारण यह था कि इकट्ठी धनराशियों में भारत सरकार के अदा होने वाले ऋणों के परिशोधन के निमित्त निक्षेप निधि (Sinking Fund) में ४०० लाख रुपये का अंशदान दिया गया और विकास तथा अन्य योजनाओं के लिये प्राप्त केंद्रीय ऋणों की किस्तों का भुगतान राजस्व से किया गया। दूसरी ओर सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट्स (Community Development Projects) आदि के अन्तर्गत व्यय में १३५ लाख रुपये की कमी हुई जिसका मुख्य कारण यह था कि भारत सरकार द्वारा स्थानीय विकास निर्माण कार्यों के लिये दी जाने वाली धनराशि कम कर दी गई थी और राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजनाओं के प्रतिरूप (pattern) में संशोधन कर दिया गया था। भारत सरकार ने राज्य सरकार को जो ऋण दिये थे उनके ब्याज की दरों में संशोधन हो जाने तथा जमींदारी विनाश प्रतिकर बन्ध-पत्रों पर देय किस्तें कम लिये जाने के कारण ब्याज संबंधी व्यय में १२२ लाख रुपये की कमी हुई। शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, पशुपालन, सहकारिता तथा उद्योग के अन्तर्गत व्यय में सब मिलाकर १९४ लाख रुपये तक की कमी हुई। नागरिक निर्माण कार्यों (Civil Works) के व्यय में भी १०६ लाख रुपये की कमी हुई। इन तथा अन्य न्यूनाधिकताओं का वास्तविक परिणाम यह हुआ कि वर्ष के समाप्त होने पर १.०९ करोड़ रुपये की राजस्व बचत हुई।

१९५९–६० के मूल बजट में राजस्व प्राप्तियों तथा व्यय के तखमीने क्रमशः ११९.६१ करोड़ रुपये और १२१.४७ करोड़ रुपये लगाये गये थे। इस प्रकार राजस्व में १.८६ करोड़ रुपये की कमी थी। वर्ष के संशोधित तखमीनों में १२२.३३ करोड़ रुपये के राजस्व तथा १२२.५० करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार राजस्व में मूलतः जितने घाटे का अनुमान था वह १८६ लाख रुपये से घटकर १७ लाख रुपये हो जायगा, ऐसी संभावना है। यह घाटा राजस्व सुरक्षित निधि (Revenue Reserve Fund) से उतनी ही धनराशि संक्रमित करके पूरा कर दिया जायगा। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष कम्पनी करों में जो परिवर्तन किये गये हैं उनसे आयकर के डिवीजिबुल पूल (divisible pool) में हानि हुई। इस हानि को पूरा करने के लिये इस वर्ष आयकर तथा केंद्रीय सहायक अनुदान (Central Grant-in-aid) के हिस्से के रूप में ६९ लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने की आशा है। बिक्री-कर के अन्तर्गत प्राप्तियों में १६३ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है। इसका एक कारण बकायों की वसूली के लिये किया गया विशेष आन्दोलन है और एक कारण करापवंचन को रोकने के लिए की गई कार्यवाहियां हैं। इसका एक और कारण है और वह यह कि विलास की कुछ वस्तुओं पर बिक्रीकर की दरें ७ प्रतिशत बढ़ाये जाने का पूरा असर इस वर्ष पड़ेगा और उससे प्राप्ति बढ़ेगी। सरकारी रोडवेज के अन्तर्गत मीलों तथा मुसाफिरों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने के कारण अधिक आय प्राप्त होने की आशा है। इस प्रकार विविध विभागों की प्राप्तियों में ६८ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। भारत सरकार अब राज्य सरकार को स्थानीय विकास निर्माण-कार्यों पर व्यय करने के निमित्त ७१ लाख रुपये का अनुदान देने के लिये सहमत हो गई है। दूसरी ओर "मालगुजारी" के अन्तर्गत प्राप्तियों में १०३ लाख रुपये की कमी होने की संभावना है जिसका मुख्य कारण यह है कि जमाबंदियों की तैयारी में समय लगने से चकबन्दी की फीस की वसूली में कुछ कमी हो गई और काश्तकारों को भूमिधरी

[श्री सैयद अली जहीर]

अधिकार दिये जाने तथा फिर से सीरदारी अधिकार दिये जाने के फलस्वरूप निर्धारित वसूलियों की सकल मांग कम हो गई थी। अन्य कर तथा शुल्क (Other Taxes and Duties) के अन्तर्गत प्राप्तियों में भी ६५ लाख रुपये की कमी होने की सम्भावना है। कतिपय क्षेत्रों में सिंचाई की मांग कम हो गई, सूखा के कारण नलकूप द्वारा सिंचाई की पलेवा दरों में कमी हुई और नये प्रोजेक्ट्स (projects) चालू करने तथा सामग्री और श्रम के व्यय बढ़ जाने से कार्य-संपादन व्यय में वृद्धि हुई। इसलिये सिंचाई की वास्तविक प्राप्तियों में १७७ लाख रुपये की कमी होने का अनुमान है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्यों के लिये इस वर्ष भारी व्यय स्वीकृत किये जाने और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संतुलित करने के उद्देश्य से उसमें राजस्व से अपेक्षाकृत अधिक धनराशि संक्रमित करने के प्रस्ताव के कारण "दुर्भिक्ष सहायता" के अन्तर्गत १३० लाख रुपये की वृद्धि हुई। सरकारी बस सेवाओं (Government Bus Services) पर अधिक व्यय होने का अनुमान है और इसलिये विविध विभागों के अन्तर्गत व्यय में ५५ लाख रुपये की वृद्धि होने की भी संभावना है। विविध व्यय (Miscellaneous Charges) में ३८ लाख रुपये की कमी होने का तखमीना है और ब्याज संबंधी व्ययों का तखमीना आवश्यकताओं के आधार पर ४२ लाख रुपया कम लगाया गया है। इन तथा अन्य न्यूनाधिकताओं के कारण इस वर्ष राजस्व में १७ लाख रुपये का थोड़ा-सा घाटा होने की संभावना है।

१९५९–६० के मूल बजट में पूंजी व्यय का तखमीना ३२.१४ करोड़ रुपया लगाया गया था। वह अब संशोधित तखमीनों में ३२.४२ करोड़ रुपया है।

१९६०–६१ की राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के तखमीने क्रमशः १३०.९० करोड़ रुपये तथा १३३.२३ करोड़ रुपये रखे गये हैं। इस प्रकार २.३३ करोड़ रुपये का राजस्व का घाटा होता है। आशा है कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित योजनाओं के लिये जिनमें केंद्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित (sponsored) योजनायें भी सम्मिलित हैं, भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राज सहायता के कारण शिक्षा, हरिजन सहायक तथा कृषि विभागों की प्राप्तियां कुल मिलाकर १९५९–६० के संशोधित तखमीनों की तुलना में २२२ लाख रुपये अधिक होंगी। मालगुजारी और अन्य कर तथा शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियां कुल मिलाकर १७७ लाख रुपये अधिक आंकी गई हैं क्योंकि आशा है कि चकबन्दी फीस का बकाया और गन्ना उपकर (cess) वसूल हो जायगा और बजट वर्ष में मालगुजारी की पहले की अपेक्षा अधिक धनराशि वसूल हो जायगी। इस आशा में कि सिंचाई की स्थिति आगामी वर्ष में अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहेगी, सिंचाई की शुद्ध प्राप्तियों का तखमीना १०० लाख रुपया अधिक लगाया गया है। चुर्क की गवर्नमेंट सीमेंट फैक्ट्री की एक नयी भट्ठी चालू हो जाने से सीमेंट का उत्पादन बढ़ जायगा जिससे उद्योग विभाग की प्राप्तियों में ७९ लाख रुपये की वृद्धि होगी। आशा है कि गवर्नमेंट रोडवेज की आय में भी ७५ लाख रुपये तथा ब्याज की प्राप्तियों में ६० लाख रुपये की वृद्धि होगी। दूसरी ओर अनुमान है कि बिक्रीकर की प्राप्तियों में ५९ लाख रुपये की कमी हो जायगी, जिसका मुख्य कारण यह है कि मोजे-बनियाइन आदि पर कर की दर कम कर दी गई है और छपे हुये तथा विधायित हथकरघे के कपड़े (processed handloom cloth) को कर से मुक्त कर दिया गया है। बजट के तखमीनों से यह प्रकट होता है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्यों के व्यय में २२५ लाख रुपये, शिक्षा के व्यय में १०३ लाख रुपये, परिवहन के व्यय में १३९ लाख रुपये, गांव सभाओं तथा पंचायतों के व्यय में ६१ लाख रुपये, उद्योगों के व्यय में ४६ लाख रुपये तथा सहकारी ऋण के व्यय में ५० लाख रुपये की वृद्धि होगी। ऋण संबंधी व्ययों में भी २२६ लाख रुपये की वृद्धि की संभावना है। इनके तथा अन्य न्यूनाधिकताओं के फलस्वरूप बजट वर्ष के समाप्त होने पर २३३ लाख रुपये का राजस्व घाटा होने की संभावना है।

सरकारी बिजली योजनाओं (जिनमें रिहन्द प्रोजेक्ट सम्मिलित नहीं है) से संबंधित परिसम्पत् (assets) चालू वित्तीय वर्ष में राज्य विद्युत् बोर्ड को सौंप दिए गए हैं। इनके मूल्य की धनराशि बोर्ड को ऋण के रूप में दी गई है जिस पर ब्याज भी मिलेगा। इस धनराशि को लेखे में दिखाने के उद्देश्य से बजट वर्ष में पूंजी अनुभाग (Capital Section) तथा ऋण शीर्षक के बीच किये जाने वाले प्रस्तावित पुस्तक समायोजन (book adjustment) का हिसाब न लगाने पर भी १९६०–६१ में शुद्ध पूंजी व्यय का तखमीना २६.९९ करोड़ रुपये है जबकि १९५९–६० का मूल बजट तखमीना ३२.१४ करोड़ रुपये था। बजट वर्ष में राज्य सरकार द्वारा जिन ऋणों और अग्रऋणों (Loans and Advances) के दिये जाने की संभावना है उनका तखमीना १५ करोड़ रुपया है, जबकि इनका मूल तखमीना १९५९–६० में १२.७७ करोड़ रुपये था और उसी लेखे में वसूलियों का तखमीना ५.८२ करोड़ रुपया है।

अब मैं चालू वित्तीय वर्ष में कुछ विकास विभागों की अधिक महत्वपूर्ण कार्यवाहियों और बजट वर्ष में उनके कार्यक्रम के बारे में कहूंगा।

कृषि

हमारे अधिकांश लोगों की जीविका का साधन अब भी कृषि ही है। इसलिए राज्य के सुनियोजित विकास (planned development) में उसका स्थान सबसे आगे होना स्वाभाविक ही है। १९५९–६० में उत्पादन का लक्ष्य १९५५–५६ के उत्पादन की तुलना में २१.१८ लाख टन अधिक है। इसकी पूर्ति के लिये भूमि की उपज बढ़ाने के संगठित प्रयत्न किये गये हैं। किसानों के लिये आसान ऋण सुविधाओं (easy credit facilities) और उन्नत बीजों, उर्वरकों (fertilizers), खादों तथा खेती के औजारों की व्यवस्था की गई है। खरीफ़ में अधिक समय तक सूखा पड़ने के कारण धान की फसल खराब हो गई, लेकिन अब रबी की फसल में इस कमी को पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। अब तक ६६७ बीज फार्म स्थापित किये जा चुके हैं और १०० फार्म चालू वर्ष में और स्थापित किये जायेंगे। उन्नत बीजों को बांटने का कार्यक्रम भी जोर से चालू है।

'नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर' बांटने का काम सहकारी तथा कृषि दोनों प्रकार के बीज गोदामों के जरिये किया जाता है। गांव सभा प्रधानों के जरिये उर्वरक बांटना इस योजना की विशेषता है। एक प्रधान को एक गाड़ी उर्वरक उधार दी जाती है और दूसरी गाड़ी दिये जाने से पहले उसे पहली गाड़ी की कीमत जमा करनी होती है। इस काम के लिये पंचायतों का इस्तेमाल काफी सफल रहा है। हरी खाद की वृद्धि के लिये उसके बीज छोटे-छोटे पैकेटों में किसानों को दिये जाते हैं। बड़े-बड़े फार्मों, वन-रोपण खंडों (afforestation blocks) तथा भूमि-संरक्षण क्षेत्रों (soil conservation areas) में खाद के बीज की पैदावार बढ़ाई गई है। जूट की पैदावार का स्तर पहले की तरह कायम रखा गया है, लेकिन पिछले दो या तीन वर्षों से कपास की खेती करने वाले अधिकांश जिलों में पानी इकट्ठा होने तथा बाढ़ आ जाने के कारण कपास की पैदावार संतोषजनक नहीं हुई है। गन्ने के क्षेत्र बढ़ जाने तथा गरमी के मौसम में पर्याप्त सिंचाई न होने से भी कपास की पैदावार कम हुई। लेकिन इस बात के प्रयत्न किये जा रहे हैं कि बुन्देलखंड में, जिसके बहुत बड़े क्षेत्र में पहले कपास की खेती की जाती थी, और इलाहाबाद, प्रतापगढ़ तथा अन्य जिलों के ऐसे भागों में, जिनमें अभी हाल ही से सिंचाई होने लगी है, कपास की खती फिर से की जाय।

बागबानी के अन्तर्गत फलों के नये बाग लगाने तथा पुराने बागों में फिर से फलों के पेड़ लगाने में हम निर्धारित लक्ष्य से भी आगे बढ़ गये हैं। पिछले तीन वर्षों में ५९,७९२ एकड़ से अधिक भूमि में फलों के नये बाग लगाये गये और २८,०८३ एकड़ से अधिक भूमि के पुराने

[श्री सैयद अली जहीर]

बागों में फिर से फलों के पेड़ लगाये गये। अब १२,००० एकड़ भूमि में फलों के नये बाग लगाने का विचार है। इसके अतिरिक्त १९६०-६१ में १२ लाख पौधे और ५,५५० पौंड सब्जी के बीज तथा ३०,००० मन रोग-मुक्त आलू के बीज भी बांटे जायेंगे।

कुछ विशेष योजनायें भी पूर्वी जिलों में चालू की गई हैं, जैसे तालाबों को गहरा करना, तालाबों की मिट्टी आदि (silt) का खेतों में प्रयोग, जल-पौधों (water hyacinth) की कम्पोस्ट खाद तैयार करना और बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में फसल उगाने के उपयुक्त तरीकों का प्रयोग।

पहाड़ी जिलों में आलू की खेती का विकास करने के लिये एक योजना चालू की गई है और पूर्वी जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये सहायक खाद्यान्नों की फसलें उगाने, अनन्नास (pine-apple) की काश्त बढ़ाने, जिप्सम (gypsum) के प्रयोग से भूमि की उर्वरता बढ़ाने की योजनायें भी इस वर्ष आरम्भ की गई हैं।

विधान मंडल ने उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम दिसम्बर, १९५८ में पास किया। जुलाई, १९६० से एग्रीकल्चर (कृषि) तथा वेटेरिनरी मेडिसिन (पशु-चिकित्सा-औषधि) के कालेज खोलने के लिये सभी आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाहियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। आशा है एग्रीकल्चर (कृषि) तथा वेटेरिनरी मेडिसिन (पशु-चिकित्सा-औषधि) कालेज अगले जुलाई से शुरू होंगे।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

खेती की पैदावार बढ़ाने के कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक विकास संगठन का बहुत निकट संबंध है। इस समय सक्रिय विकास खंडों (active development blocks) की संख्या ४९७ है, जिसमें ३११ खंड (blocks) पहली अवस्था, ६१ दूसरी अवस्था, ५४ प्रगाढ़ अवस्था (intensive stage) में हैं और ७१ पूर्व-प्रसार अवस्था (pre-extension stage) में हैं। पहले तीन प्रकार के खंडों (blocks) के अन्तर्गत राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग ५२.९ प्रतिशत, उसकी कुल आबादी का लगभग ४७ प्रतिशत और उसके गांवों की कुल आबादी का लगभग ५४.४ प्रतिशत आ जाता है। अगले वर्ष पहली अवस्था में स्थापित किये जाने वाले ७२ खंडों में से ३४ खंड १ अप्रैल, १९५९ से और शेष १ अक्तूबर, १९५९ से पूर्व-प्रसार अवस्था (pre-extension stage) में रख दिये गये हैं।

१९५९-६० में, विकास खंडों (Development Blocks) में सर्वोच्च प्राथमिकता (top priority) कृषि कार्यक्रम को दी गई थी। अन्न उत्पादन बढ़ाने के विशेष प्रचार के कार्यक्रमों से किसानों को खेती के उन्नत तरीकों का महत्व समझाने में सफलता मिली। धान के लिये कतार में बीज बोने (line sowing) की प्रणाली आरम्भ करके तथा हरी खाद के बीजों में वृद्धि करके, बड़े बड़े क्षेत्रों में जापानी ढंग के अनुसार धान की खेती की गई। हरी खाद के बीज-वर्द्धन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई की दरों में ५० प्रतिशत की विशेष रियायत देने की घोषणा की गई। खेती की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राम सहायकों, ग्राम सभाओं, विकास खंडों, जिलों तथा जोनों (zones) में प्रतियोगिता की स्वस्थ भावना पैदा करने के लिये एक पुरस्कार प्रतियोगिता योजना चालू की गई, जिसके फलस्वरूप दो ग्राम सभाओं ने एक लाख रुपये के मूल्य के धान का अतिरिक्त उत्पादन किया। अब तक बेकार पड़े हुए सिंचाई के सामान्य साधनों का उपयोग करने के उद्देश्य से, पुरानी गूलों की मरम्मत करने तथा सिंचाई की नई गूलें बनाने के कार्य को १९६० के श्रमदान सप्ताह में प्राथमिकता दी गई है।

पहली अवस्था के २३३ खंडों में पशु-चिकित्सा औषधालय स्थापित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस वर्ष करीब ५० नये पशु-चिकित्सा औषधालयों का निर्माण हुआ है और १०० नये कृत्रिम गर्भाधान केंद्र (Artificial Insemination Centres) खोले गये हैं।

बहुत से खंडों में एलोपैथिक औषधालय स्थापित करने के आदेश जारी किये गये हैं जो प्रारम्भिक स्वास्थ्य केंद्रों (Primary Health Centres) के एक भाग होंगे। हर ग्राम-सेवक को साधारण बीमारियों के इलाज के लिये दवाओं का एक बक्सा (Medicine Chest) दिया गया है। चालू वर्ष में ऐसी दवाओं के १,१४२ बक्से ग्राम सेवकों को दिये गये थे। पिछले वर्षों की तरह आंख के इलाज के शिविर (Eye Relief Camps) भी आयोजित किये गये। खंड क्षेत्रों (block areas) में ९४३ बेसिक स्कूल खोले गये और १७३ नये स्कूलों के लिये इमारतें बनाई गईं। २,५८९ बालिग शिक्षा-केंद्र खोले गये और ४१,९५६ लोगों को इन केंद्रों में शिक्षा देने के लिये भरती किया गया। २,१३० सामुदायिक तथा सूचना-केंद्र खोले गये, जिनमें ४९६ सामुदायिक रेडियो सेट (Community Listening Sets) रखे गये। पीने के लिये साफ पानी की व्यवस्था तथा सफाई संबंधी प्रबन्धों में भी काफी प्रगति हुई।

चालू वित्तीय वर्ष में ९८.५० लाख रुपये की धनराशि अधिक अन्न उपजाओ निधियों (Grow More Food Funds) में से और करीब १.२७ करोड़ रुपये की धनराशि विकास खंड की निधियों (Block Funds) में से विभिन्न छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये ऋण देने के वास्ते स्वीकृत की गई। इन योजनाओं में पक्के कुओं का निर्माण और मरम्मत, गहरे कुएं खोदना (deep boring), रहट लगाना, पम्पिंग प्लांट आदि सम्मिलित हैं। अधिक अन्न उपजाओ निधियों में से १३.२५ लाख रुपये की धनराशि टेहरी-गढ़वाल में पक्के कुओं, बंधियों तथा गूलों के लिये राज सहायता (subsidy) देने के वास्ते स्वीकृत की गई। पूर्वी जिलों में पक्के कुओं तथा पहाड़ी जिलों में नालियों के निर्माण के लिये ऋण देने की विशेष योजनाओं के लिये ४.५० लाख रुपये की एक और धनराशि स्वीकृत की गई।

सहकारिता

चालू वित्तीय वर्ष में हमारे राज्य में सहकारी आन्दोलन बड़ी तेजी से फैला है। पंचवर्षीय योजना से संबंधित योजनाओं (Plan Schemes) को सफलता से चलाने के उद्देश्य से लोगों में सहकारिता की भावना बढ़ाने की इंडियन नेशनल कांग्रेस की घोषित नीति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एक नयी सहकारी नीति अपनाई। इस नीति का उद्देश्य गांव-स्तर पर ऐसी सेवा सहकारी समितियों (Service Co-operatives) का संगठन करना है जिनका कार्य कृषि उत्पादन संबंधी योजनायें तैयार करके, उचित दरों पर पर्याप्त और सामयिक ऋण की व्यवस्था करके, बीज, खाद और उर्वरकों का प्रबन्ध करके, सिंचाई सुविधाओं तथा उन्नत औजारों की व्यवस्था करके, फसल के समय अनाज इकट्ठा करके और क्रय-विक्रय समितियों के जरिये उसे बेंच करके, उन्नत प्रविधियों (improved techniques) को लोकप्रिय बना करके तथा पशु-पालन में उन्नति करके खेती की पैदावार बढ़ाना है। अगस्त, १९५९ में दस हजार सेवा सहकारी समितियां संगठित करने का निश्चय किया गया था और दिसम्बर, १९५९ के अन्त तक १०,२१९ सेवा सहकारी समितियां संगठित की गईं, जिनके अन्तर्गत लगभग ११,००० ग्राम सभायें हैं। इनमें ३,००० नई समितियां हैं और बाकी मौजूदा ग्राम समितियों को बदल कर बनाई गई हैं। लगभग आठ लाख व्यक्ति इन सहकारी समितियों के सदस्य बनाये गये हैं और इनकी अंश पूंजी (Share Capital) लगभग १.५ करोड़ रुपये है। अगले वर्ष ५,००० सेवा सहकारी समितियां स्थापित करने का प्रस्ताव है।

[श्री सैयद अली जहीर]

ये सेवा सहकारी समितियां ठीक तरीके से कार्य करें, इस उद्देश्य से उन्हें क्रय-विक्रय समितियों से सम्बद्ध कर दिया गया है जिनकी संख्या अब १४८ है और अगले वर्ष इसे बढ़ाकर १७८ कर दिया जायगा। इस बात का ध्यान रखा गया है कि ये समितियां क्रय-विक्रय केंद्रों (मंडियों) में स्थापित की जायं जहां किसान अपना उत्पादन व्यापारियों के हाथ बेंचने के लिये आमतौर से लाते हैं। राज्य में १६ विधायन यूनिटें (Processing Units) भी हैं जो शकर बनाने, मूंगफली का विधायन (processing), धान का भूसा निकालने का कार्य करती हैं। ३६ गन्ना यूनियनों (Cane Unions) ने, ऐसे क्षेत्रों में भी जहां सहकारी क्रय-विक्रय समितियां नहीं हैं, खाद्यान्न के क्रय-विक्रय का कार्य अपने हाथ में ले लिया है।

"स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन" ने इस वर्ष अपना कारोबार १२ मंडियों में शुरू किया है और वह अगले वर्ष १८ और मंडियों में भी कारोबार करेगा। क्रय-विक्रय समितियां (Marketing Societies) भी अपने मुख्यालयों तथा संग्रह केंद्रों में धीरे-धीरे छोटे गोदाम बना रही हैं।

सबसे नीचे प्रारम्भिक समितियों से लेकर सबसे ऊपर राज्य सहकारी बैंक तक सभी सहकारी ऋण संस्थाओं ने तेजी से प्रगति की है। इन संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों की धनराशि १९५६-५७ में लगभग ४ करोड़ रुपये थी और अब वह बढ़कर १५ करोड़ रुपये हो गई है। १९६०-६१ के अन्त तक यह धनराशि बढ़कर ३६ करोड़ रुपये तक हो जायगी। यह रकम ५ करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के बीज के अतिरिक्त है जिसे ऋण के रूप में सहकारी बीज गोदामों से दिया जाता है। सहकारी ऋण समितियां जिनकी संख्या लगभग ५०,००० है, ऋण की सुविधायें लगभग ७०,००० गांवों को देती हैं। इनके सदस्यों की संख्या जून, १९५९ के अन्त में लगभग २२ लाख थी, अंश पूंजी (Share Capital) ५६१ लाख रुपये और कार्य वाहक पूंजी (Working Capital) लगभग १,८०९ लाख रुपये थी। ब्याज की दर बारह प्रतिशत से कम करके पौने नौ प्रतिशत कर दी गई है और इसमें और भी कमी होने की आशा है।

केंद्रीय सहकारी बैंक, जिनकी संख्या ५६ है और अंश पूंजी ४१३ लाख रुपये है, मौसम के अनुसार कृषि कार्य करने तथा फसलों के क्रय-विक्रय के लिये ऋण देते हैं। उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक राज्य की सबसे ऊंची सहकारी ऋण संस्था है जिसकी कार्यवाहक पूंजी १४ करोड़ रुपये से अधिक है।

मार्च, १९५९ में एक केंद्रीय भूमि बन्धक बैंक (Central Land Mortgage Bank) इस उद्देश्य से खोला गया कि भूमि का पुनरुद्धार (land reclamation) तथा उसमें स्थायी सुधार करने, लोहे के भारी औजार खरीदने, पुराने ऋणों का भुगतान करने आदि प्रयोजनों के लिये लम्बी मुद्दत के ऋण दिये जायं। इस राज्य के सहकारी आन्दोलन के इतिहास में इस बैंक की स्थापना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है और किसानों को अपनी खेती की पैदावार बढ़ाने के निमित्त ऋण प्राप्त करने में निस्सन्देह इससे बड़ी सुविधा हो जायगी। सारे राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह बैंक जिलों में प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंक खोल रहा है और १९६०-६१ में बैंक की ऐसी २५ शाखायें खोलने का प्रस्ताव है, क्योंकि लम्बी मुद्दत के ऋण देने के निमित्त २७५ करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

ऐसे किसानों की, जिनके पास भूमि की छोटी-छोटी और अलाभकर इकाइयां हैं, आर्थिक दशा सुधारने और खेती की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से इस राज्य में प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में सहकारी खेती प्रयोग के रूप में आरम्भ की गयी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में १०० कृषि सहकारी समितियां स्थापित की गयी थीं और वर्तमान योजना के प्रथम तीन वर्षों में १२१ ऐसी समितियां संगठित की गयीं। दिसम्बर, १९५९ के अन्त में इनकी संख्या ३५५ थी।

ग्रामीण क्षेत्रों के सहकारी बीज गोदाम (Co-operative Seed Stores) किसान को स्वयं उसके ही गांव में या उसके गांव से थोड़ी सी दूरी के भीतर बीज प्राप्त करने में सहायता दे रहे हैं। वे उन्नत बीजों, खादों और औजारों की व्यवस्था करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक विकास खंड में दो बीज गोदामों के हिसाब से १,७५२ सहकारी बीज गोदाम खोलने का लक्ष्य है। इनमें से १,३५५ बीज गोदाम खोले जा चुके हैं। इन बीज गोदामों द्वारा सदस्य-किसानों को २४ लाख मन से अधिक उन्नत बीज बांटा जा रहा है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा रेलवे से ठेकों का काम लेने के लिये श्रमिक सहकारी समितियां (Labour Co-operatives) स्थापित की गईं और इस प्रकार सहकारिता के क्षेत्र में एक नये प्रकार का कार्य शुरू किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि दरमियानी आदमियों को बीच से हटाकर मजदूरों को शोषण (exploitation) से बचाया जाय।

सिंचाई

हमारे देश में खेती की पैदावार की वृद्धि एक बड़ी हद तक सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार पर निर्भर है। अतएव कृषि अर्थ-व्यवस्था के लिये इसके महत्व पर जितना भी जोर दिया जाय कम है। अपर्याप्त वर्षा होने के कारण चालू वर्ष में खरीफ की फसल के लिये पानी की बड़ी मांग थी। इसलिये सिंचाई के ऐसे समस्त निर्माण-कार्यों से जो पूरे हो चुके हैं और ऐसे निर्माण-कार्यों से भी जो अभी अधूरे हैं, जितना भी काम लिया जा सकता था, लिया गया। इस वर्ष ३९ लाख एकड़ से भी अधिक क्षेत्र की सिंचाई की गयी, जबकि १९५८–५९ में ३५.२७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की गयी थी। इससे पहले इससे अधिक क्षेत्र में सिंचाई कभी नहीं हुई थी। वर्तमान रबी के दौरान में भी सिंचित क्षेत्र ४६.९५ लाख एकड़ के अधिकतम क्षेत्र से, जो १९५७–५८ में सींचा गया था, अधिक हो जायगा। टांडा और दोहरीघाट की पम्प नहरें अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल रही हैं, क्योंकि बाहर से मंगाये गये कुछ पम्प अभी नहीं आये हैं। लेकिन दोहरीघाट पम्प नहर का पानी बलिया जिले तक पहुंच रहा है।

द्वितीय योजना की नयी परियोजनायें (प्रोजेक्ट) यानी वाल्मीकि सरोवर और जिरगो बांध पूरी होने जा रही हैं और १९५९ की खरीफ से उनसे कुछ सिंचाई की जाने लगी है। कुआनो पम्प-नहर से अभी केवल ६० क्यूसेक (cusecs) पानी मिल रहा है, लेकिन आशा है कि बाहर से मंगाये गये पम्पों के मिल जाने पर यह नहर बजट वर्ष में अपनी पूरी क्षमता से १२० क्यूसेक (cusecs) पानी पहुंचाने लगेगी। अपर खजूरी रिजर्वायर (जलाशय) के मार्च, १९६० तक बन कर तैयार हो जाने की आशा की जाती है।

६७० नलकूपों के निर्माण का कार्य बहुत आगे बढ़ चुका है और ६३७ नलकूपों के वेधन का कार्य सफलता के साथ पूरा किया जा चुका है। इनमें से ५३७ नलकूपों में बिजली पहुंचाकर उनसे काम लेना शुरू कर दिया गया है। पहाड़ी जिलों में कंटूर (contour) गूलों और छोटी नालियों, मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई की छोटी योजनाओं और दक्षिणी भाग में छोटे बांधों और बंधियों के निर्माण के कार्य चालू हैं। छोटे सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत जल निस्सारण सुधार योजनाओं (Drainage Improvement Schemes) का कार्य समाप्त होने जा रहा है। १,५०० नलकूप बनाने के प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ३५० और नलकूप बनाने तथा पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई की छोटी योजनाओं के, जिनमें राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों की जल निकास की योजनायें भी सम्मिलित हैं, निर्माण का कार्य आरम्भ हो चुका है और उसके बजट वर्ष में समाप्त हो जाने की आशा है। सिंचाई की पक्की गूलों (Lined Guls) का काम आगे बढ़ रहा है।

बजट वर्ष में यह प्रयत्न किया जा रहा है कि प्रथम योजना की अवधि में आरम्भ की गयी सभी योजनाओं (Spillover Schemes) को पूरा कर दिया जाय। अनुमान है कि जिरगो

[श्री सैयद अली जहीर]

बांध की शेष नालियों, अपर खजूरी प्रोजेक्ट, बाल्मीकि सरोवर, कुआनो पंप-नहर योजनाओं तथा नानक सागर का निर्माण-कार्य समाप्त हो जायगा। रामगंगा प्रोजेक्ट के संबंध में अब कोई टेक्निकल बाधायें नहीं हैं। इस प्रोजेक्ट के कार्य की गति और तीव्र की जायगी। शेरकोट के पास रामगंगा पुल के निर्माण का कार्य १९६० के अन्त तक समाप्त हो जाने की संभावना है। शारदा सागर बांध की दूसरी अवस्था का कार्य और उसकी नालियों के निर्माण का कार्य बजट वर्ष में और तेजी के साथ किया जायगा।

अनुमान है कि बजट वर्ष के अन्त तक नालियों की लम्बाई बढ़कर २५,४०० मील हो जायगी और नलकूपों की संख्या बढ़कर ६,४०० हो जायगी।

"बाढ़ रक्षा योजना" के अन्तर्गत द्वितीय योजना के दौरान में शुरू किया गया समस्त कार्य, जिसमें नगर रक्षा योजनायें, बांध (embankments), नालियां, गांवों और सड़कों को ऊंचा करना भी शामिल है, मार्च, १९६१ के अन्त तक पूर्ण रूप से समाप्त हो जायगा, ऐसी आशा की जाती है।

द्वितीय योजना के अन्त में इन योजनाओं की कुल अनुमानित क्षमता १२१ लाख एकड़ होगी, जबकि मार्च, १९६१ तक केवल १०३ लाख एकड़ के लिये ही उनके उपयोग में लाये जाने की संभावना है।

उद्योग

हमारी योजना के उद्देश्यों के लिये उद्योगों का महत्व यदि उससे अधिक नहीं तो उतना तो जरूर है जितना कि कृषि का। राज्य के बड़े तथा मध्यम प्रकार के उद्योगों की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है, इसका संकेत उन लाइसेंसों की संख्या से मिलता है जो उद्योगपतियों को दिये गये हैं। द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में १७० लाइसेंस दिये गये थे, जबकि चालू वर्ष में ५६ लाइसेंस और दिये गये हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिनके लिये लाइसेंस दिये गये हैं इस प्रकार हैं---इटावा में एक काटन यार्न फैक्ट्री, बिजनौर में एक जैक्स बोर्ड फैक्ट्री, अलीगढ़ में एक मिल्क फूड फैक्ट्री, कानपुर में एक ट्रैक्टर पार्ट्स फैक्ट्री, मिर्जापुर में एक अल्मूनियम इन्गोट्स फैक्ट्री, गाजियाबाद में एक ओवलटीन फैक्ट्री, बरेली में सिन्थेटिक रबर, स्टाइन मोनोमर और ड्यूटाडाइन फैक्ट्री (Styene Monomer and Dutadiene Factory)। दो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां, यानी सोडा ऐश-कम-अमोनियम क्लोराइड फैक्ट्री और जे० के० रेयां फिलामेंट यार्न फैक्ट्री, जिन्हें सरकार ने ऋण दिये हैं, इस वर्ष में काम करने लगी हैं। भारत सरकार ने भी ऋषीकेश में एक ऐन्टीबायटिक्स फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। द्वितीय योजना के दौरान में जो चार सहकारी चीनी के कारखाने खोले जाने वाले थे, उनमें से बाजपुर की फैक्ट्री में पिछले वर्ष से काम होने लगा है और बागपत की फैक्ट्री में अगले वर्ष में काम शुरू हो जाने की आशा है। सरसावा को प्रस्तावित किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री के लिये एक पुराना (second hand) प्लांट खरीद लिया गया है और उम्मीद की जाती है कि अगले पेराई के मौसम से उसमें उत्पादन का कार्य शुरू हो जायगा।

राज्य के सुनियोजित औद्योगिक विकास की अधिक आवश्यकता को महसूस करते हुए, सरकार ने एक भारी उद्योग योजना समिति (Heavy Industries Plan Committee) बनाई है। इसका उद्देश्य राज्य के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में बड़े और मध्यम प्रकार के नये उद्योगों को कायम करने के लिये योजना तैयार करने के विषय में सरकार को सलाह देना है। उक्त समिति द्वारा नियुक्त विभिन्न कार्यकारी दलों (working groups) ने औद्योगिक कार्य-क्रम का एक केन्द्रीय अंग (nucleus) तैयार किया है। औद्योगिक योजना समिति (Committee of Industrial Schemes) ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में राज्य

के सार्वजनिक क्षेत्र में ३४.४२ करोड़ रुपये की और सहकारिता के क्षेत्र में ११.६८ करोड़ रुपये की पूंजी लगाने के लिये सिफारिश की है। समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

तृतीय योजना में राज्य में बड़े और मध्यम प्रकार के उद्योगों के विकास पर और भी अधिक जोर दिये जाने की संभावना को दृष्टि में रखकर यह आवश्यक समझा जाता है कि एक उपयुक्त कार्यकारी संगठन (working machinery) बना दिया जाय जिसे विभिन्न कार्यक्रमों के सम्पादन के लिये प्रारम्भिक कार्य करने का भार सौंप दिया जाय। अतएव यह प्रस्ताव है कि उद्योग संचालकालय (Directorate of Industries) के भारी उद्योग अनुभाग (Heavy Industries Section) की कर्मचारि संख्या में वृद्धि की जाय और इसके लिये १९६०–६१ के बजट में २ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। यह भी प्रस्ताव है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्तावित योजनाओं का प्रारम्भिक कार्य १९६०–६१ में शुरू कर दिया जाय और साथ ही औद्योगिक विकास के संभावित क्षेत्रों (prospective areas) के सर्वे का काम भी आरम्भ कर दिया जाय।

ग्रामीण तथा छोटे उद्योगों के संबंध में टेक्निकल सहायता प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार द्वारा आगरा और कानपुर में स्थापित लघु उद्योग सेवा संस्थाओं (Small Industries Service Institutes) का विस्तार किया गया है। जहां तक वित्तीय सहायता का संबंध है, संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने पर अधिक जोर दिया गया, और रियायती दरों पर उद्योगों को ऋण देने के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया की पाइलट योजना स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में लागू की गई। कच्चे माल और मशीनों के आयात के लिये प्रमाण-पत्र (Essentiality Certificate) के दिये जाने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। किस्तों पर मशीन देने की राष्ट्रीय लघु उद्योग कारपोरेशन (National Small Industries Corporation) की योजना का उद्योगपतियों ने अब ज्यादा फायदा उठाया है। व्यक्तियों और सहकारी समितियों को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक ५१.८९ लाख रुपये तक के ऋण और अनुदान दिये जाने की सम्भावना है। इस क्षेत्र में इस राज्य को उल्लेखनीय सफलता मिली है। ट्रेनिंग एवं उत्पादन केंद्रों (Training-cum-Production Centres) का पुनस्संगठन किया गया है। ये उत्पादन केंद्र अब चालू वित्तीय वर्ष में लगभग ७ करोड़ रुपये का माल बना कर तैयार कर सकेंगे और लगभग ६,५०० व्यक्तियों को विभिन्न दस्तकारियों की ट्रेनिंग दे सकेंगे। पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों के, जिनमें पहाड़ी क्षेत्र, राज्य के पूर्वी जिले और बुंदेलखंड शामिल हैं, विकास के लिये २८.६४ लाख रुपये की विशेष योजनायें चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गयी हैं। बजट वर्ष में गुणांकन योजना (Quality Marking Scheme) के अन्तर्गत तीन और उद्योगों को लाने, चिकन योजना को लखनऊ जिले के निकटवर्ती ग्रामीण क्षत्रों में चलाने और ४८२ हथकरघों को बिजली से चलने वाले करघों में बदल देने का विचार है।

सरकार ने ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के क्षेत्र (Village and Small Industries Sector) में प्रगति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से डिवीजनल मूल्यांकन समितियां (Divisional Evaluation Committees) बनायी हैं जिनका अध्यक्ष डिवीजन का कमिश्नर होता है और जिनक सदस्य संसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्य तथा उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ उद्योगपति होते हैं। उनकी रिपोर्टों पर सरकार विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश लघु तथा कुटीर उद्योग बोर्ड (U. P. Small Scale and Cottage Industries Board) की सिफारिश पर दो टोलियां देश के अन्य राज्यों में इस उद्देश्य से भेजी गयीं कि वे उनके उद्योगों क विकास का अध्ययन करें और इस राज्य के औद्योगिक विकास की प्रगति बढ़ाने के लिये अपने सुझाव राज्य सरकार को दें। उनकी रिपोर्टों पर भी सरकार विचार कर रही है।

[श्री सैयद अली जहीर]

जिला उद्योग समितियों का पुनर्गठन किया गया है और विभिन्न उद्योगों तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रतिनिधियों को उनमें सम्मिलित करके उन्हें और व्यापक रूप प्रदान किया गया है। आशा है कि इन पुनर्गठित समितियों का राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान होगा। बख्शी-का-तालाब में खाल उतारने (hide flaying), पशु शव का उपयोग करने, चमड़ा कमाने और जूता बनाने के केंद्र का कार्य जनवरी, १९६० से शुरू हो गया है। यह केन्द्र केंद्रीय सरकार तथा नेदरलैन्ड की सरकार की सहायता से स्थापित किया जा रहा है। देश में अपने ढंग का यह एकमात्र केंद्र है। उसमें ट्रेनिंग हासिल करने के लिये विभिन्न राज्य अपने-अपने उम्मेदवार भेज रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में, चुर्क की राजकीय सीमेंट फैक्ट्री की क्षमता को दुगना करने के लिये जो प्लांट और मशीन मंगाये गये थे उनका अधिकांश भाग प्राप्त हो गया है और आशा की जाती है कि पहली भट्ठी जुलाई, १९६० से काम करने लगेगी। इस फक्ट्री को रिफ्रेक्टरी (refractory) ईटें बनाने के लिये भी लाइसेंस दिया गया है। राजकीय सूक्ष्म यंत्र फक्ट्री (Government Precision Instruments Factory) के द्वितीय योजना के लक्ष्य प्राप्त किये जा चुके हैं। वाटरमीटर, माइक्रासकोप, प्रेशरगेज, मेडिकल तथा सर्जिकल औजारों के अलावा यह फैक्ट्री मूवी कैमरों, वाल क्लाक और टाइमपीस बनाने का भी विचार कर रही है।

राज्य के पहाड़ी जिलों में विकास कार्यों की प्रगति और बढ़ाने की आवश्यकता भी सरकार समझती है। पहाड़ी क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था के लिये बागबानी के विकास तथा फलों के उपयोग की सुविधाओं के प्रसार का बड़ा ही महत्व है। अभी तक ३० लाख पौधे तैयार करके बागबानी करने वालों को दिये जा सके हैं, फल संरक्षण तथा फलों को डिब्बों में बन्द कर रखने का एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स चालू किया जा सका है। फल संरक्षण तथा फलों को डिब्बों में बन्द कर रखने में लगभग १२,००० व्यक्तियों को थोड़े दिनों की ट्रेनिंग दी जा सकी है और रामगढ़ में एक फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री कायम की जा सकी है। आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में ५ लाख पौधे बांटे जा सकेंगे और ४,००० व्यक्तियों को थोड़े दिनों वाले कोर्स की ट्रेनिंग दी जा सकेगी। तराई में फूलबाग की फ्रूट प्रेजर्वेशन ऐण्ड कैनिंग फैक्ट्री भी अब करीब-करीब पूरी बन चुकी है।

बिजली

हाल ही में उद्योगों ने जो प्रगति की है उसको देखते हुए इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बिजली की कमी उनकी एक मुख्य कठिनाई है। इस प्रश्न को सन्तोषजनक ढंग से हल करने के लिये राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ के अधीन १ अप्रैल, १९५९ को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड (U. P. State Electricity Board) संघटित किया। राज्य सरकार के बिजली के सभी प्रतिष्ठान (electrical undertakings) इस बोर्ड को सिवाय रिहन्द डम प्रोजेक्ट के जिसका निर्माण-कार्य अभी तक हो रहा है, दे दिये गये। यह बोर्ड एक स्वायत्त संघटन (autonomous organisation) है और इसका सामान्य कर्त्तव्य राज्य में अधिक कुशल तथा सस्ते ढंग से बिजली के उत्पादन (जेनरेशन), सप्लाई तथा वितरण के विकास का समन्वय करना है।

संघटित होने के तुरन्त बाद ही बोर्ड के सामने गंगा तथा शारदा ग्रिडों से बिजली मिलने वाले क्षेत्रों में, बिजली की कमी की समस्या आई। बोर्ड ने बिजली की इस भारी मांग को पूरा करने के लिये एक योजना चालू की है जिसके अन्तर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में डीजल स्टेशन स्थापित किये जायंगे। इसके लिये बोर्ड के पास अब जितने भी छोटे या बड़े डीजल प्लान्ट हैं, उन सब का उपयोग किया जा रहा है।

रामपुर बिजली घर का विस्तार भी तेजी से किया जा रहा है और इस काम के पूरे हो जाने पर गंगा–शारदा ग्रिडों को इससे ४,००० किलोवाट्स की अतिरिक्त बिजली मिल जायगी। खटीमा बिजली घर के थोड़े ऊपर आजकल जो नाली (channel) है उसके स्थान पर बिजली घर के नीचे कुछ दूरी तक जाने वाली एक द्विशाखित नाली (bifurcation channel) बनाने से अनुमान है कि निकट भविष्य में लगभग ४,००० किलोवाट्स अतिरिक्त बिजली पैदा हो सकेगी। केवल इतने ही से बोर्ड सन्तुष्ट नहीं है। वह देश में अथवा विदेश से नये या पुराने उपयुक्त प्लांट खरीदने की कोशिश कर रहा है। बोर्ड को यह आशा है कि अगले सात या आठ महीनों में बिजली की कुछ जरूरी मांगें सम्भवतः पूरी हो जायंगी। इस बीच पूर्वी क्षेत्र बिजली प्रोजेक्ट (Eastern Area Power Project) से बिजली पाने वाले क्षेत्रों में कुछ बिजली उपलब्ध है। बोर्ड उन उद्योगपतियों को बिजली दे सकता है जो इन क्षेत्रों में कारखाने खोलना चाहें।

संघटित होने के तुरन्त बाद बोर्ड ने अपर गेंजेज वैली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड की परिसम्पत् (assets) को ५ मई, १९५९ को इस कम्पनी का लाइसेंस समाप्त होने के बाद खरीद लिया। तब से मुरादाबाद और बिजनौर के जिलों में बिजली देने का काम बोर्ड कर रहा है।

बिजली की भारी मांग को स्थायी आधार पर पूरा करने के लिये बोर्ड तीस-तीस हजार किलोवाट्स के दो टरबाइन्स (Turbines) लगाकर हरदुआगंज बिजलीघर का विस्तार करने का काम बड़ी तेजी से कर रहा है। पहले यह इरादा था कि माताटीला में ७,५०० किलोवाट्स की दो मशीनें लगाई जायं। लेकिन अब दस-दस हजार किलोवाट्स की तीन मशीनें लगाने का निश्चय किया गया है जिससे उसकी सार्थ धारिता (firm capacity) २०,००० किलोवाट्स की हो जाय।

यमुना हाइडेल योजना एक और ऐसी योजना है जिसका काम रुक गया था। जिन कारणों से काम रुका वे राज्य सरकार के वश के बाहर थे। इस प्रोजेक्ट का कार्य एक बार १९४८ में बन्द कर दिया गया था क्योंकि उस समय कृषि उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता (top priority) देने का निश्चय किया गया था। बाद में, प्रोजेक्ट की पहली अवस्था का कार्य अगस्त, १९५७ में शुरू किया गया। किन्तु इस कार्य को फिर योजना आयोग (Planning Commission) की सलाह से इस कारण रोक दिया गया कि पंजाब सरकार एक ऐसी दूसरी योजना बनाने की सम्भावना पर विचार कर रही थी जिसे चालू करने पर हमारे पावर स्टेशन पानी में डूब जाते। अभी हाल ही में भारत सरकार ने सूचना दी है कि पंजाब की योजना चालू करने लायक नहीं पाई गई है और हम अपनी योजना को चालू कर सकते हैं। चूंकि मूल प्रोजेक्ट तैयार किये जाने से अब तक बहुत समय बीत गया है इसलिये अब प्रोजेक्ट का संशोधन करना आवश्यक है। जैसे ही संशोधित प्रोजेक्ट तैयार हो जायेगा, इस पर कार्य १९६०–६१ के आरम्भ में किसी समय शुरू कर दिया जायगा।

यहां पर ४,५०,००० किलोवाट्स के एक बड़े थरमल प्लांट का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है। इस प्लांट को दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर स्थापित करने का विचार है। इस बात की संभावना है कि मिर्जापुर जिले के सिंगरौली कोयले की खानों में काफी परिमाण में कोयला मिल जायगा। इन कोयले की खानों के नजदीक ही नया बिजली घर स्थापित करने का विचार है जिससे कि कोयले को लाने-ले-जाने का व्यय कम हो जाय। परन्तु यह प्रोजेक्ट अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है और उसके अन्तिम रूप से तैयार होने के पहले काफी काम करना होगा। बोर्ड इस काम को जितनी भी तेजी से हो सकता है, कर रहा है जिससे कि राज्य का औद्योगीकरण तेजी से होता रहे और बिजली की कमी के कारण उसमें रुकावट न पड़े।

[श्री सैयद अली जहीर]

राज्य विद्युत् बोर्ड के अधीन संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन है। यह संगठन पहले की तरह कुशलता से काम कर रहा है और अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की सेवा करता आ रहा है। बिजली की अधिकतम मांग गत वर्ष ४७,८७० किलोवाट्स थी। अब यह बढ़ कर चालू वर्ष में ५४,२२५ किलोवाट्स हो गई है। इसी प्रकार उपभोक्ताओं की संख्या ४४,८५४ से बढ़कर ४७,७७४ हो गई। १९५८--५९ में २४ करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई थी। आशा है कि १९५९–६० में यह बढ़कर २७ करोड़ यूनिट हो जायगी।

कानपुर में १५,००० किलोवाट्स का एक नया टरबाइन (turbine) लगाया गया है और आशा की जाती है कि उसे जल्दी ही चालू कर दिया जायेगा। १५,००० किलोवाट्स के एक दूसरे टरबाइन के लिये भी आर्डर दिया गया है और आशा है कि यह टरबाइन १९६१–६२ में उपयोग के लिये मिल सकेगा।

गोरखपुर, सोहावल तथा मऊ के पूर्वी क्षेत्र के बिजली घरों (Eastern Area Power Stations) को एक दूसरे से मिलाने की परियोजना (प्रोजेक्ट) का भी यहां पर उल्लेख कर देना आवश्यक है। इन बिजली घरों को इस प्रकार एक दूसरे से मिला देने के लिये भारत सरकार और सेंट्रल वाटर तथा पावर कमीशन (Central Water and Power Commission) सिद्धान्त रूप से सहमत हो गये हैं और योजना के ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं। इस परियोजना पर वास्तविक कार्य बजट वर्ष के आरम्भ में ही शुरू हो जाने की संभावना है। परियोजना के पूरे हो जाने और स्टीम स्टेशनों का सम्बन्ध रिहन्द सिस्टम से जुड़ जाने पर इस क्षेत्र में काफी मात्रा में बिजली मिल जायगी।

रिहन्द परियोजना (प्रोजेक्ट)

मैं अब रिहन्द परियोजना की प्रगति का उल्लेख करूंगा। बांध और इसके साथ होने वाले कामों में कुल लगभग ६०० लाख घन फुट कंकरीट लगाये जाने का अनुमान है जिसमें से ४५० लाख घन फुट से अधिक कंकरीट छोड़ा जा चुका है। निर्माण-कार्यों के लिये लगभग ७,००० किलोवाट बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अस्थायी बिजली घर बनाए गये। राबर्ट्सगंज नगर में भी बिजली लगा दी गई। विदेश से जो बिजली के प्लान्ट (power plant) और सज्जा मंगाये गये थे वे अब यहां आने लगे हैं। जनरेटिंग प्लान्ट (generating plant) लगाया जा रहा है और पहली यूनिट का रोटर असेम्बली का काम संतोषजनक रूप से हो रहा है। १३२ किलोवोल्ट (KV) की दोहरी सर्किट लाइन का अंतिम सर्वे (survey) पूरा हो गया है और उसे अन्तिम रूप दे दिया गया है। सज्जा के अनुरक्षण (maintenance) और संचालन (operation) में ट्रेनिंग पाने के लिए ६ असिस्टेन्ट इंजीनियर विदेश भेजे गये हैं। १९६०–६१ में बांध, बिजलीघर और संलग्न निर्माण-कार्यों में कंकरीट का करीब-करीब सब काम पूरा हो जायगा और स्थायी सज्जा को लगाने का काम शुरू कर दिया जायगा। बिजली घर में निर्माण-कार्य पूरा हो जायेगा। व्यापारिक प्रयोग के लिये दो पचास-पचास के एम० डब्लू० सेट पूरे हो जायेंगे। स्टब सेट (Stub-setting) करने का काम, मीनार बनाने का काम, डोरी चढ़ाने का काम तथा १३२ किलोवोल्ट (KV) की दोहरी सर्किट लाइन की अन्तिम जांच बजट वर्ष में पूरी हो जाने की सम्भावना है। मुगलसराय से करमनासा तक १३२ किलोवोल्ट (KV) की दोहरी सर्किट लाइन पूरी हो जायगी और मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज और मुगलसराय (साहूपुरी) के १३२ किलोवोल्ट (KV) के उप-स्टेशनों (Sub-stations) पर होने वाले अधिकांश कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया जायेगा।

शिक्षा

१९४६ में शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने के समय से सरकार ने हमेशा ही सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया है। इस दिशा में अब तक जो

उल्लेखनीय सफलतायें प्राप्त की गई हैं, उनमें से बुनियादी शिक्षा के आरम्भ तथा प्रसार, माध्यमिक शिक्षा के पुनःसंगठन, व्यावसायिक (वोकेशनल) पथ-प्रदर्शन की आधुनिक प्रविधियों (techniques) के अंगीकरण, मनोवैज्ञानिक ब्यूरो, सेन्ट्रल पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय और प्रदेशीय शिक्षा दल की स्थापना तथा जूनियर हाई स्कूल के स्तर पर शिक्षा के सुधार और अभिनवीकरण (re-orientation) का उल्लेख किया जा सकता है।

१९४६–४७ में २०,०४८ प्राइमरी स्कूल थे जिनमें विद्यार्थियों की संख्या १५,७५,५०८ थी और १९५८–५९ के अन्त में इन स्कूलों की संख्या बढ़कर लगभग ३६,३६३ हो गई जिनमें विद्यार्थियों की संख्या ३५,२१,०८० थी। १९४६–४७ में स्कूल में ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों का प्रतिशत उनकी कुल आबादी का लगभग २१ था। अब यह बढ़कर ३८ प्रतिशत से भी अधिक हो गया है। इसी प्रकार जूनियर हाई स्कूलों की संख्या १,८५० से बढ़कर ४,०७३ हो गई है। पहले विद्यार्थियों की संख्या २,४७,८४१ थी, जो अब बढ़कर ४,८५,८४६ हो गई है।

जहां तक माध्यमिक स्कूलों का सम्बन्ध है, उनकी संख्या इस समय १,६३२ है जब कि १९४६–४७ में उनकी संख्या ५०६ थी। विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़कर २,०३,२२५ से लगभग ७,९८,२५१ हो गई है। इसी प्रकार डिग्री कालेजों की संख्या १६ से बढ़कर १०२ से अधिक हो गई है और विद्यार्थियों की संख्या में २०० प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

चालू वर्ष की मुख्य बातें जिनका विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक है इस प्रकार हैं––अध्यापक प्रशिक्षण योजना (Teachers Training Scheme) का आरम्भ किया जाना, सहायता–प्राप्त माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री कालेजों के अध्यापकों के लिये नये वेतन-क्रम का लागू किया जाना और नेशनल कैडेट कोर के प्रसार की योजना को चालू करना। तृतीय योजना अवधि में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिये भारत सरकार ने अध्यापकों की ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है और राज्य सरकार को १०० प्रतिशत राज सहायता (subsidy) देने का वचन दिया है। उन्होंने इस राज्य के लिए ४८ नये नार्मल स्कूल निर्धारित किये हैं––४२ लड़कों के लिए और ६ लड़कियों के लिये––और चुने हुए वर्तमान गवर्नमेंट नार्मल स्कूलों का इस उद्देश्य से प्रसार करने की स्वीकृति दी है कि उनमें भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ जाय। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में ४० लाख रुपये से अधिक व्यय करने के लिये अपनी प्रशासकीय स्वीकृति की सूचना दे दी है। १ नवम्बर, १९५९ से ये स्कूल खोल दिये गये हैं और उनमें से २० स्कूलों के लिये नयी इमारतें बनाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

सहायता-प्राप्त माध्यमिक स्कूलों और डिग्री कालेजों के अध्यापकों के लिए १ जुलाई, १९५९ से नये वेतन-क्रम आरम्भ करने से पहले साल ७,५७,००० रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा और आखिर में २,००,१६,३०० रुपये का व्यय होगा। मैं बाद में नेशनल कैडेट कोर राइफिल्स के बारे में विशेष रूप से कहूंगा।

टेक्निकल शिक्षा

जहां तक टेक्निकल शिक्षा का सम्बन्ध है, बजट वर्ष में उद्योग विभाग के जरिये ६६.२३१ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। ऐसी २५ टेक्निकल और औद्योगिक संस्थाओं के स्तरों (standards) को बढ़ाने का प्रस्ताव है जो विभिन्न इंजीनियरी और टेक्निकल विषयों में सर्टिफिकेट, डिग्री तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (Post-Graduate Courses) के लिये उम्मेदवारों को ट्रेनिंग देती हैं। हारकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट में (१) तेल, चर्बी तथा मोम, (२) रोगन तथा वार्निश और (३) व्यावहारिक माइक्रोबायोलाजी (Applied Microbiology) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (Post Graduate Courses) प्रारम्भ करने का भी प्रस्ताव है। इस इन्स्टीट्यूट को धीरे-धीरे टेक्नालाजी और उद्योगों में व्यावहारिक अनुसंधान (Applied Research) करने की संस्था में बदल दिया जायगा।

[श्री सैयद अली जहीर]

चालू वित्तीय वर्ष में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाने वाली ५ संस्थाओं को जूनियर टेक्निकल स्कूलों में बदल दिया गया है। लखीमपुर और गोरखपुर के वर्तमान गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट्स (Government Technical Institutes) में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः ४० और ३५ से बढ़ाकर २१० और २०० कर दी गई है। बरेली, झांसी, कानपुर, मिर्जापुर और फैजाबाद में ५ नये डिप्लोमा इन्स्टीट्यूट्स खोलने की तैयारियां भी हो रही हैं। टेक्निकल शिक्षा ऋण योजना (Scheme for Technical Education Loans) द्वारा गरीब और योग्य विद्यार्थियों को भारत और विदेशों में वैज्ञानिक तथा टेक्निकल विषयों में अध्ययन के लिये सहायता दी जाती है। इसके अलावा अगली जुलाई से विदेशी सहायता से भारत सरकार के अधीन कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी चालू हो जायगा।

रुड़की विश्वविद्यालय में (१) हाईवे इन्जीनियरिंग (Highway Engineering) और (२) फोटोग्रामेट्रिक इंजीनियरिंग (Photogrammetric Engineering) के नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (Post-Graduate Courses) आरम्भ कर दिये गये हैं।

भूकम्प इंजीनियरी में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण का एक स्कूल, ग्राम्य गृह व्यवस्था (Rural Housing) के लिये एक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र और जन-स्वास्थ्य इंजीनियरी का एक अल्पकालीन नया पुनरभ्यास पाठ्यक्रम (Refresher Course) आरम्भ कर दिये गये हैं। भारत सरकार ने इस विश्वविद्यालय में फौन्ड्री (foundry), लकड़ी के काम (wood-working) तथा फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटरों (Fractional Horse Power Motors) के निर्माण के लिये अग्रगामी प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र (Pilot Training-cum-Production Centre) स्थापित करने की भी स्वीकृति दे दी है।

सरकार ने लखनऊ के हिवेट और सिविल इंजीनियरिंग स्कूलों में विद्युत् (electrical) और यांत्रिक (mechanical) पाठ्य-क्रम आरम्भ करने की स्वीकृति दे दी है। इन सब के अलावा भारत सरकार ने नैनीताल, चन्दौली और हंडिया, डिप्लोमा इन्स्टीट्यूटों के प्रसार के लिये भी एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

चिकित्सा और स्वास्थ्य

१९५९–६० में राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों का और अधिक प्रसार हुआ है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान कमी को पूरा करने के लिये अधिक डाक्टरों और सहायकों (auxiliaries) को ट्रेनिंग देने और राज्य के मेडिकल कालेजों के विभिन्न विभागों को क्रमोन्नत (upgrade) करने का प्रयास किया गया है। आगरा मेडिकल कालेज में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या ७५ से बढ़ा कर १०० कर दी गई है। कई सरकारी डाक्टर उच्च शिक्षा के लिये विदेश भेजे गये और कई डाक्टरों को देश में ही उच्च शिक्षा दी गई। लोगों के लिये चिकित्सा के अपेक्षाकृत उच्च स्तर (standard) की व्यवस्था करने की नीति के अनुसार कानपुर के मेडिकल कालेज में थोरेसिक सर्जरी (Thoracic Surgery) का केन्द्र कायम किया गया। जच्चा-बच्चा अस्पताल, रेडियोलाजी तथा कैन्सर रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक बाल चिकित्सालय के लिये इमारतें बनाने का काम आरम्भ किया गया। आगरा मेडिकल कालेज में एक पेडियाट्रिक यूनिट (paediatric unit) खोला गया और सर्जिकल ब्लाक और क्षय रोग प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन केन्द्र (Tuberculosis Training and Demonstration Centre) के लिये इमारतें बनाई गईं।

लखनऊ मेडिकल कालेज में सामाजिक और निरोधात्मक चिकित्सा (Social and Preventive Medicine) का एक विभाग तथा बाल पथ-प्रदर्शन चिकित्सालय (Child Guidance Clinic) खोले गये। चेस्ट सर्जरी यूनिट और नये सर्जिकल ब्लाक के लिये आवश्यक कर्मचारियों और सज्जा की व्यवस्था की गई। सर्जिकल ब्लाक के दो आपरेशन थियेटरों को वातानुकूल (Air Conditioning) करने के लिये १,००,००० रुपये

की धनराशि की भी स्वीकृति दी गई। नये आप्थेल्मिक ब्लाक (Ophthalmic Block) को आवश्यक सज्जा से युक्त किया गया। ब्लड बैंक (Blood Bank) का प्रसार किया गया। लखनऊ के डेन्टल कालेज में बी० डी० एस० के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या २० से बढ़ा कर ४० कर दी गई। भारत सरकार के कहने पर लखनऊ के डेन्टल कालेज में देश के विभिन्न भागों से आने वाले अन-रजिस्टर्ड दन्त चिकित्सकों की ट्रेनिंग के लिये एक नयी योजना आरम्भ की गयी।

जिला और डिवीजनल स्तर पर दो चिकित्सालयों को क्रमोन्नत (upgrade) किया गया और दो दन्त चिकित्सालय (Dental Clinics) खोले गये। दो स्थानों पर बाल चिकित्सालय (Children's Clinics) खोले गये और चार स्थानों पर जन-स्वास्थ्य की प्रयोगशालायें स्थापित की गईं। आगरा के मेडिकल कालेज चिकित्सालय में रोगी शय्याओं की संख्या में १५० की बढ़ोत्तरी की गई और विभिन्न जिला चिकित्सालयों में २०० की बढ़ोत्तरी की गयी। पचास और प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये और यू० एन० आई० सी० ई० एफ० से प्राप्त सहायता से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि की गई।

चेचक की वैक्सीन की शक्ति (potency) को अपेक्षाकृत अधिक अवधि तक बनाये रखने के उद्देश्य से फ्रीज ड्राइड (freeze dried) शक्ल में उसका निर्माण करने की एक योजना विचाराधीन है। ऐन्टी-रेबिक वैक्सीन तैयार करने की व्यवस्था की गई और इसी वर्ष इसकी पहली सप्लाई की गई। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की २७ और यूनिटें क़ायम की गईं जिससे राज्य के लिये निर्धारित संख्या पूरी हो गई। फाइलेरिया की रोक-थाम के लिये दो और यूनिटें क़ायम की गईं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना (Employees' State Insurance Scheme) को १४ और स्थानों में लागू किया गया जिससे इसके अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़कर १,३१,००० हो गई। चिकित्सालय के बाहर इलाज कराने की सुविधायें, जिसमें घर पर जच्चा-बच्चा की मुफ्त सेवा भी शामिल है, बीमा कराये हुए श्रमिकों के परिवारों को दी गईं।

आयुर्वेदिक और यूनानी के १३ नये औषधालय खोले गये। आयुर्वेद के अध्यापन-विषय में परिवर्तन किया गया और लखनऊ के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज में आयुर्वेदाचार्य का एक नया पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया।

अगले वर्ष क्षय रोग के ५ और चिकित्सालय, २ दन्त चिकित्सालय, ३ जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालायें, ५ महिला औषधालय, ५ आयुवदिक / यूनानी औषधालय, १० शहरी तथा ६० ग्रामीण परिवार नियोजन चिकित्सालय और एक परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र खोलने, ४ औषधालयों का प्रान्तीयकरण करने, ५ जिला चिकित्सालयों में चिकित्सा और सर्जरी सम्बन्धी सुविधायें बढ़ाने तथा चिकित्सालयों में रोगी-शय्याओं की संख्या में १०० की वृद्धि करने का विचार है।

श्री अध्यक्ष--शायद समय बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हमारी ओर से बढ़ेगा तो मैं पन्द्रह मिनट के लिये बढ़ाये देता हूं लेकिन अगर उसके बाद नहीं ख़त्म हुआ तो फिर प्रस्ताव लाना पड़ेगा। इसलिये अगर सदन उचित समझे तो अपने आप प्रस्ताव ले आये या मैं ही बढ़ा दूं।

कुछ सदस्य--प्रस्ताव आ ही जाने दीजिये।

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज आध घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, जरा मुझको इस प्रस्ताव पर कुछ कहने का मौका दीजिये। जरा यह देखा जाय कि आपकी व्यवस्था से सहमत हो कर और आज्ञा

[श्री राजनारायण]

को शिरोधार्य करके, यद्यपि मूल रूप से मैं उससे असहमत था लेकिन उसके होते हुये भी, किसी प्रकार बैठकर हम लोग सुनते आ रहे हैं एक दिवालिये बनिये का लेखा जोखा, तिस पर भी आज एक नयी प्रथा हो रही है। अभी तक इसके पूर्व कभी भी हमारा ऐसा खयाल है कि समय बढ़ा करके बजट का भाषण समाप्त कराया गया हो ऐसा नहीं हुआ लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम आप की आज्ञा को शिरोधार्य करके इसको भी मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष--मैं सदन की आज्ञा ले रहा हूं।

प्रश्न यह है कि सदन की बैठक का समय आज आध घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--मैं यह जानना चाहता था कि आध घंटे का समय बढ़ाया गया और भाषण अगर २० मिनट में समाप्त हो गया तो आगे क्या होगा। इसलिये प्रस्ताव में यह शब्द होने चाहिये कि जब तक भाषण समाप्त न हो तब तक के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--आप का यह संशोधन होता तो बात दूसरी थी लेकिन यह बात है कि बैठक के निश्चित समय से पहले उठने का अधिकार हमेशा ही सदन को है, उसके लिये समय को कम करने के लिये संशोधन लाने का या प्रस्ताव लाने की कोई जरूरत नहीं होती ऐडजर्न करने के लिये कोई बात नहीं करनी होती, मैं स्वयं बैठक स्थगित कर सकता हूं।

प्रश्न यह है कि सदन की बैठक का समय आज आध घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में -- १७१,
विपक्ष में -- १९।)

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)--श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है इस समय ५ बज चुके हैं और यह घोषणा उसके बाद हुई है। तो अब बैठक का जारी रखना कहां तक उचित है?

श्री अध्यक्ष--मैंने सदन की राय ले ली थी।

खाद्य

श्री सैयद अली जहीर--अब मैं खाद्य स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। १९५८-५९ में अनाज के भाव सामान्यतया बहुत ऊंचे रहे जिससे नियामक उपाय (regulatory measures) काम में लाना आवश्यक हो गया। भाव न बढ़ने देने के लिये इन उपायों को चालू वर्ष में भी काम में लाया जाता रहा। चावल उगाही की प्रणाली (लेवी सिस्टम) के अन्तर्गत चालू वर्ष में चावल उगाहा गया और जनवरी, १९६० तक राज्य सरकार ने ४४,३२,५३६ मन चावल खरीदा। इसी प्रकार गेहूं उगाही की प्रणाली के अन्तर्गत भी गेहूं उगाहा गया और जनवरी, १९६० के अन्त तक १२,२४,३१५ मन गेहूं प्राप्त किया गया।

सूखा-ग्रस्त पूर्वी जिलों में सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या बढ़ाई गई। अप्रैल, १९५९ से जनवरी, १९६० तक इन दूकानों के जरिये ८९ लाख मन अनाज तथा २९ लाख मन आटा का वितरण किया गया। यह प्रणाली अभी चालू है और आशा है कि मार्च, १९६० के अन्त तक लगभग १५० लाख मन अनाज तथा आटे का वितरण कर दिया जायगा। अनाज के भावों को न बढ़ने देने के लिये कुछ और कार्यवाहियां भी की जा रही हैं, जैसे पूर्वी जिलों में गांवों की सस्ते गल्ले की दूकानों

पर दैनिक बिक्री का परिमाण बढ़ा दिया गया है और लगातार कमी वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को सस्ते भाव (subsidized rates) पर अपना राशन पाने के अलावा यह सुविधा भी दी गयी है कि वे पूर्वी उत्तर प्रदेश में २ रुपये का चना और पहाड़ी जिलों में २ रुपये का मक्का तथा बाजरा खरीद सकते हैं। कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद तथा लखनऊ के नगरों तथा मेरठ और बरेली में २५० रुपये प्रतिमास से अधिक आमदनी वाले उपभोक्ताओं को भी सस्ते गल्ले की दूकानों से अनाज खरीदने की अनुमति दी गई है।

इन उपायों का नतीजा यह हुआ कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा इस वर्ष अनाजों के भाव निम्न स्तर पर स्थिर रहे।

जहां तक चीनी का संबंध है, मई, १९५९ में भाव एकाएक बढ़ गये, किन्तु सरकार ने विक्रय के लिये अधिक कोटा देने और उपभोक्ताओं को चीनी बांटने के लिए समयानुकूल जो कार्यवाही की उससे स्थिति पर काबू पा लिया गया। यह संतोष की बात है कि सरकार द्वारा अपनाई गई योजना का असर अच्छा हुआ और अब बाजार-भाव असामान्य नहीं हैं।

विशेष महत्व की बातें

मैं अब विशेष महत्व की कुछ बातों का जिक्र करूंगा। माननीय सदस्य यह जानने को सम्भवतः इच्छुक होंगे कि सरकार हमारे देश की उत्तरी सीमा पर दी गई चुनौती और कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत क्या कार्यवाही करने का विचार करती है। संयोग से यह उत्तरी सीमा हमारे राज्य की भी उत्तरी सीमा है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से अन्य बातों के साथ-साथ यातायात, कृषि, उद्योग, बिजली, पानी की सप्लाई तथा शिक्षा का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को देखते हुए जिनका सम्बन्ध हमारे राज्य की अखण्डता से है, इस क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में यातायात की व्यवस्था करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके लिए सामान्य विकास कार्य के निमित्त २८.३६ लाख रुपये के अतिरिक्त ६१.६४ लाख रुपये की भी व्यवस्था की गई है। आवश्यकता के अनुसार सरकार के लिए इस क्षेत्र में प्रशासनीय कार्यवाही तेज करना अनिवार्य हो सकता है, किन्तु इस प्रयोजन के लिए इस समय व्यय का सही-सही अनुमान लगाना कठिन है। इसलिए सामान्य प्रशासन के तखमीनों में इस प्रयोजन के लिए १०० रुपये की प्रतीक व्यवस्था कर दी गई है।

अपने नौजवानों को सनिक शिक्षा देने की आम मांग को पूरा करने तथा किसी भी स्थिति क लिए तैयार रहने के उद्देश्य से भारत सरकार न हाल ही में नशनल केडेट कोर की संख्या बढ़ाने का निश्चय किया है और 'एन० सी० सी० राइफ़ल्स' की एक नयी योजना चालू की है। इस योजना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में ४,००० कैडेटों को और अगले वित्तीय वर्ष में १६,००० कैडेटों को शिक्षा दी जायगी। राज्य के नौजवानों में अनुशासन और सैनिक जीवन की भावना पैदा करने के विचार से सरकार ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है और अगले वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए राज्य के हिस्से के रूप में ६,४९,००० रुपये की धनराशि भी नियत कर दी है। क्षमा-याचना करते हुये मैं इस प्रसंग में इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि भारत सरकार की नयी एन० सी० सी० राइफल्स योजना हमारे राज्य के प्रदेशीय शिक्षा दल की उस योजना से मिलती-जुलती है जिसे हमारे राज्य के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने, जो सौभाग्य से आज हमारे मुख्य मंत्री हैं, बारह वर्ष पहिले आरम्भ किया था। उनकी दूर-दर्शिता की इससे अच्छी क्या प्रशंसा हो सकती है कि आज भारत सरकार ने एन० सी० सी० राइफल्स की इस योजना को अपना लिया है। इसलिए यह बहुत समयानुकूल होगा कि भारत सरकार की योजना को स्वीकार करते हुए हम अपने प्रदेशीय शिक्षा दल या जैसा कि उसे

[श्री सैयद अली जहीर]

आमतौर पर पी० ई० सी० कहते हैं, को स्थायी बनायें। तदनुसार सरकार ने अगले वर्ष से पी० ई० सी० के ५० प्रतिशत अस्थायी पदों को स्थायी करने का निश्चय किया है।

आमतौर पर लोगों का विचार यह है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान देश की सशस्त्र सेनाओं के कमीशन वाले पदों में पर्याप्त संख्या में मुख्यतः इसलिए नहीं आ पाते कि वे सेना चुनाव बोर्डों (Forces Selection Boards) द्वारा निर्धारित स्तर के नहीं होते। इसलिए इस प्रयोजन के लिए सुविधाएं देने के निमित्त पर्याप्त व्यवस्था करने का निश्चय किया गया है। इस समय सैनिक स्कूल, देहरादून में केवल छः उम्मेदवारों को राज्य से वार्षिक छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। जाहिर है कि यह बहुत कम है। अर्से से महसूस की जाने वाली इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार ने इस राज्य में अपना एक पृथक् प्रारम्भिक सैनिक स्कूल खोलने का निश्चय किया है, जिसके लिए ४·५ लाख रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है।

हमारे संविधान के अनुसार हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा स्वीकार कर ली गई है। इस राज्य का, जो हिन्दी का जन्म-स्थान है, यह कर्त्तव्य है कि वह हिन्दी भाषा की उन्नति और विकास इस हद तक करे कि वह थोड़े ही समय के भीतर सम्पूर्ण देश की राष्ट्रीय तथा सरकारी भाषा हो जाय। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह राज्य, प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग करने में सबसे आगे रहा है और इस दिशा में काफी प्रगति भी कर चुका है। हाल ही में इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक और कदम उठाया गया है और वह यह कि अब राज्य मंत्रिपरिषद् की सभी कार्यवाहियां हिन्दी में ही होंगी। अतएव, भविष्य में मंत्रि-परिषद् की कार्यावलि (agenda), उसके विचारार्थ सभी टिप्पणियां और साथ ही उन पर दिये गये आदेश हिन्दी में होंगे।

कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को प्रोत्साहन मिले और स्थानीय उद्योग अन्य राज्यों के इसी प्रकार के उद्योगों के साथ सफलतापूर्वक प्रतियोगिता कर सकें, इसलिए चालू वर्ष में बिक्रीकर में बहुत-सी रियायतें दी गईं। छपे हुए और कढ़े हुए हथकर्घे के कपड़े तथा हाथ से बने गोटे को बिक्रीकर से पूरी तौर से मुक्त कर दिया गया। सभी किस्म के मोजे-बनियाइनों पर बिक्री कर की दर ६ १/४ प्रतिशत एकल स्थल (single point) से घटा कर १ प्रतिशत बहुस्थल (maltiple point) और कच्ची शक्कर पर बिक्री कर ६ पाई प्रति रुपया से घटा कर दो नये पैसे प्रति रुपया कर दिया गया। तालों और उसके पुर्जों, चक्की के पाटों और जरी अथवा बादला के काम वाले तैयारशुदा कपड़ों पर भी अन्तर्राज्य बिक्रीकर की दर सात प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दी गई।

राज्य के यात्रिक भत्ता नियमों (Travelling Allowance Rules) के अधीन चौथे वर्ग के समस्त सरकारी कर्मचारियों और ४५ रुपया मासिक या उससे कम वेतन पाने वाले प्रकृष्ट सेवा (Superior Services) के सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर यात्रा करते समय निम्नतम दर्जे का केवल एक तरफ का किराया और यात्रा की अवधि का दैनिक भत्ता पाने का हक होता है। दौरे पर रहने के लिए उन्हें ६ आने से १२ आने तक प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता मिलता है। किन्तु अन्य वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को प्रासंगिक व्यय की पूर्ति के लिए मील के हिसाब से भत्ता और बदली होने पर उनके परिवार वालों को अतिरिक्त किराया तथा निजी सामान ले जाने का व्यय मिलता है। सरकार ने अब चौथे वर्ग के और अन्य कर्मचारियों के लिए यात्रिक तथा दैनिक भत्ते का हिसाब लगाने की इस पद्धति के भेद को हटाने का निश्चय किया है और यह तय किया है कि दैनिक भत्ते के बजाय उनको भी मील के हिसाब से प्रासंगिक भत्ता दिया जाय। अब बदली होने पर उन्हें भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति उनके परिवार वालों के लिए यात्रिक भत्ता और निजी सामान ले जाने के लिए व्यय मिलेगा। दौरे पर रहने के लिए उनका दैनिक भत्ता ठहरने के स्टेशन के अनुसार ८ आने और १ रुपया तक बढ़ा दिया जायगा।

भारतवर्ष में कुल १६७ चीनी के कारखाने हैं जिनमें से ६९ हमारे राज्य में हैं। इस प्रकार गन्ने की फसल हमारी सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसलिए सरकार ने हमेशा यह ध्यान रखा है कि गन्ने की खेती के विकास और चीनी के कारखाने के क्षेत्रों की दशा सुधारने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाय। यह देखा गया है कि इस राज्य में गन्ने की प्रति एकड़ उपज और उसमें सुक्रोज (sucrose) की मात्रा, विशेषतः दक्षिण के कुछ अन्य राज्यों की तुलना में, कम है। इसलिये यह आवश्यक तथा वांछनीय है कि इस संबंध में तरक्की होनी चाहिये। बजट वर्ष में हम प्रशासनीय व्यय, अनुसंधान योजनाओं और गन्ने की खेती का विकास करने और उसे बढ़ाने के लिए लगभग ९७.५ लाख रुपये, चीनी के कारखाने के क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए ४३.५ लाख रुपये और गन्ना पैदा करने वाले क्षेत्रों में सिंचाई की विशेष योजनाओं के लिए ५० लाख रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं। यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि सरकार ने हाल में गन्ना पैदा करने वाले क्षेत्रों में ९३ सरकारी नलकूपों के निर्माण की स्वीकृति दी है। [१९५८–५९ में गन्ना पैदा करने वाले क्षेत्रों में २,१४१ पक्के कुयें और ५२२ छोटे नलकूप बनाये गये, १,५८६ कुयें खोदे गये, १,३५४ रहट और २५१ पंपिंग सेट लगाये गये। ६५.४७ लाख मन गन्ने के बीज और ११.४१ लाख मन रासायनिक उर्वरक (fertilizers) बांटा गया। इसके अलावा २२ मील सीमेंट कंकरीट और कोलतार की सड़कें तथा ३८१ मील कच्ची तथा पक्की सड़कें बनाई गईं।]

श्री राजनारायण––श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है, जो लाइन छूट जाती है उसके बारे म आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष––वह छोड़कर पढ़ सकते हैं। वह समझा जायगा कि पढ़ा गया।

श्री सैयद अली जहीर––अन्त में मैं उन कार्यवाहियों का भी उल्लेख करना चाहता हूं जो सरकार ने विकास योजनाओं के निष्पादन की प्रगति को तेज करने और उसमें विलम्ब न होने देने के लिए की हैं। इस संबंध में मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से सरकार ऐसी आवश्यक कार्यवाहियां करने का विचार करती रही है जिनसे प्रक्रिया संबंधी देरी न हो। साथ ही वर्तमान वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन (delegation of financial powers) पर भी समय-समय पर विचार किया जाता रहा है। इस वर्ष यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की गई कि वार्षिक बजट में की गई व्यवस्था के बारे में वित्तीय स्वीकृति देने में विलम्ब न हो। मुझे हर्ष है कि अधिकतर मामलों में वित्तीय स्वीकृति अप्रैल तथा मई, १९५९ के बीच ही दे दी गयी थी। विभिन्न प्रशासनीय विभागों को वित्तीय अधिकार भी दे दिये गये ताकि वे उन अस्थायी योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दे सकें जिनके लिए बजट में आवश्यक व्यवस्था की गई है, और साथ ही वे अस्थायी पदों को चालू रखने तथा पूर्व अनुमोदित वेतन-क्रमों अथवा दरों पर व्यय की स्वीकृति दे सकें।

इस बात की भी शुरूआत कर दी गई है कि ग्रामीण विकास के उत्तर-दायित्व का विकेंद्रीकरण (decentralization) करके उसे पंचायतों और खंड विकास समितियों के जरिये काम करने वाले गैर-सरकारी व्यक्तियों को सौंप दिया जाय। इस उद्देश्य से कि पंचायतें विकास कार्यक्रम में और अधिक योग दे सकें, यह निश्चय किया गया है कि विकास विभाग पंचायतों को विशेष प्रकार के कार्य सौंप दें और इन कार्यों को अच्छी तरह से करने में उनकी सहायता करें। [प्रारम्भ में विकास खंडों (Development Blocks) में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए सहायक अनुदान (grants-in-aid) के तौर पर जितनी निधियों (funds) की व्यवस्था की गई थी उनके एक बड़े भाग का उपयोग अब सीधे पंचायतों के जरिये किया जायगा।] राज्य के सिंचाई और पानी के निकास के नये

[ ] वित्त मंत्री द्वारा नही पढ़ा गया किन्तु पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री सैयद अली जहीर]

निर्माण कार्यों का, जिनमें से हर निर्माण-कार्य की लागत ७,५०० रु० तक होगी, सम्पादन इन पंचायतों को सौंप दिया जायगा। राज्य सरकार का सिंचाई विभाग ऐसी पंचायतों को निर्माण-कार्य देगा जो उन्हें करने के लिए तैयार हों। साथ ही साथ पंचायतों को कुछ चने हुए रखरखाव के काम भी सौंपे जायंगे। ऐसी पंचायतें हर सक्रिय विकास खंड में दो कार्य उप-समितियां (Functional Sub-committees) बनायेंगी---एक 'कृषि एवं उत्पादन समिति' और दूसरी 'कल्याण समिति' कही जायगी। [पहली कृषि, बागवानी, सिंचाई, भूमि पुनरुद्धार (reclamation), भूमि संरक्षण (soil conservation), पशुपालन और कुटीर उद्योग के काम करेगी। दूसरी प्रारम्भिक तथा सामाजिक शिक्षा, जन-स्वास्थ्य तथा सफाई, यातायात, महिला मंडल और युवक संघ के काम करेगी। प्रत्येक उप-समिति में ३ से लेकर ७ तक चुने हुए सदस्य और २ से ४ तक संयोजित सदस्य (co-opted member) होंगे। गांव सभा का प्रधान एक समिति में और उप-प्रधान दूसरी में रहेगा।]

एक ओर जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संदर्भ में लोगों को अपने सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिरूप (pattern) तैयार करने के लिए प्रेरणात्मक (initiative) तथा उत्तरदायी काम सौंपा जा रहा है तो दूसरी ओर खंड विकास समिति (Block Development Committee) को भी इस योग्य बनाया जा रहा है कि वह नये संगठन में अपना काम सुचारुरूप से कर सके। खंड विकास समिति की भी दो कार्य उप-समितियां होंगी और वे अपने-अपने काम करेंगी।

गांव सभाओं को स्वायत्त शासन की कार्यकुशल प्रारम्भिक इकाइयां बनाने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रखी गई निधियों से किये जाने वाले स्थानीय निर्माण-कार्य ---जैसे पीने के पानी का आयोजन, सफाई, पानी का निकास, यातायात, स्कूल की इमारत तथा पंचायत घर के काम केवल गांव सभाओं द्वारा ही किये जायंगे। [इसके लिए ऐसी निधियां, जो 'स्वास्थ्य तथा ग्रामीण सफाई' और 'यातायात' के अन्तर्गत सहायक अनुदान के लिए किसी विकास खंड के बजट में हों, इकट्ठी करके संबंधित विकास खंड में गांव सभाओं के अधिकार में रख दी जायंगी। गांव सभाओं को इस बात का अधिकार होगा कि वे इन निधियों का उपयोग किसी भी उक्त काम के लिए करें, लेकिन प्रतिबन्ध इतना ही रहेगा कि आगामी वर्षों में अनुदान केवल इसी आधार पर दिये जायेंगे कि पिछले वर्ष प्रत्येक गांव सभा का काम कैसा रहा है।]

चूंकि अब हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने वाली है, मैं समझता हूं कि यहां पर दूसरी पंचवर्षीय योजना की कुछ मुख्य बातों को दुहराना और तीसरी योजना के प्रति अपने दृष्टिकोण को बताना असंगत न होगा। दूसरी योजना में हमने २५३ करोड़ रुपये का विकास कार्य प्रारम्भ किया, जिसमें से हमें ११०.२ करोड़ रुपयों की व्यवस्था अपने निजी साधनों से करनी थी। शेष धनराशि की पूर्ति या तो केंद्र से मिलने वाली सहायता से या स्वयं और साधन जुटाकर या अपनी सुरक्षित धनराशि में से रुपया निकालकर करनी थी। सदन की सूचना के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने वास्तव में २५६.२८ करोड़ रुपये की व्यवस्था अपने वार्षिक बजट तखमीनों द्वारा इस योजना के लिए की है जिसमें से १११.६९ करोड़ रुपये की व्यवस्था स्वयं राज्य के साधनों से की गई है। योजना संबंधी हमारा व्यय भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है और मुझे आशा है कि निर्माण-कार्यों का शीघ्रतापूर्वक सम्पादन करने के लिए जो उपाय काम में लाये गये हैं उनके फलस्वरूप यह प्रगति चालू तथा अगले वर्ष में और भी बढ़ जायगी। इसलिए यह समझते हुए कि चालू और अगले वित्तीय वर्ष में योजना के व्यय के लिए व्यवस्थित सम्पूर्ण

[ ] वित्त मंत्री द्वारा नहीं पढ़ा गया किन्तु पढ़ा हुआ माना गया।

धनराशि खर्च हो जायगी, योजना का हमारा कुल व्यय २२१.९७ करोड़ रुपया होगा। योजना के व्यय के लिए राज्य को केंद्र से जो सहायता मिली है उसका अधिक भाग ऋणों के रूप में प्राप्त हुआ है, जिनमें से कुछ का भुगतान नियत समय पर किस्तों में किया जायगा और कुछ का इकट्ठी धनराशियों के रूप में इस तरह हमें इस संबंध में तीसरी योजना में भारी दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। दूसरी योजना की समाप्ति के बाद एक बहुत बड़ी धनराशि आवर्तक व्यय (recurring expenditure) के रूप में उन योजनाओं पर भी लगानी पड़ेगी जो इस योजनाकाल में सम्पादित की गई हैं। राज्य सरकार से संभवतः उस खर्च को पूरा करने की भी अपेक्षा की जायगी जो दूसरी योजना के अन्तर्गत पूरे किये गये निर्माण-कार्यों के लिए नियुक्त कर्मचारियों के बने रहने, निर्माण-कार्यों के रखरखाव तथा संचालन पर होगा। यह भी याद रखने की बात है कि किसी निर्धारित योजना के कार्यान्वित होने से ऐसे क्षेत्रों में भी अनिवार्य रूप से कार्य-विस्तार हो जाता है जो योजना के अन्तर्गत न भी रखे गये हों हालांकि इसके लिए खुद योजना के वित्तीय तखमीनों में कोई व्यवस्था नहीं की जाती। इन सब बातों के बावजूद शासन को नियतकालिक योजनाओं के लिए अपने मानवीय तथा वित्तीय साधनों को बड़ी सावधानी और लगन के साथ जुटा करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। चूंकि हमने अभीष्ट लक्ष्य को नियत समय के अन्दर प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया है, इसलिए जाहिर है कि हम एक के बाद दूसरी जितनी योजनायें बनायेंगे उनके आकार-प्रकार को भी बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर यह ठीक-ठीक बताना संभव नहीं है कि अगली योजना का आकार या रूप क्या होगा। लेकिन अपने राज्य की तेजी से बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए, जो अनुमान है कि पिछली जनगणना (census) के ६.३ करोड़ के मुकाबले इस समय ७.३ करोड़ हो गई है, हमें अपनी अगली योजना में मौजूदा योजना के मुकाबले अधिक धनराशि की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे कि राज्य के कोने-कोने में विकास की सुविधायें सुलभ हो सकें और हमारा गरीब से गरीब वर्ग भी उन्हें प्राप्त कर सके। जाहिर है कि हमारे मौजूदा साधनों से ऐसा मुमकिन नहीं होगा और इसमें संदेह नहीं कि हमें अतिरिक्त साधन ढूंढने पड़ेंगे। ये साधन क्या होंगे इस बात पर सरकार इस समय विचार कर रही है और इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव सदन के सामने यथासमय पेश किये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपना बजट-भाषण समाप्त करने जा रहा हूं। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिये हमें इस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता है। पिछले वर्षों में योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कुछ खामियां हुई हैं, लेकिन अब हम इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में फिर ऐसा न हो। इस राज्य की उत्तरी सीमा पर चीनियों की चुनौती का हमें सामना करना है। साथ ही देश की गरीबी, अज्ञान तथा सामाजिक बुराइयों का हमें उन्मूलन करना है। अनेक दूसरी समस्याओं का भी, जिनसे जनता पीड़ित है, हमें हल करना है। विश्व की घटनाओं तथा अन्य देशों की प्रगति को देखते हुये इस कार्य के लिये हमारे पास समय बहुत कम है। यदि हम केवल नीति क रूप में नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से एकता और सहयोग की भावना रख कर काम करें तो हम अपने साधनों तथा विशाल जन-शक्ति के द्वारा इन सब चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और इन बुराइयों को दूर कर सकते हैं। हमारी प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के कुछ परिणाम अब स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ चुके हैं। लेकिन अर्थ-व्यवस्था को उस स्थिति तक पहुंचने के पहले, जबकि विकास का कार्य अपने आप होने लगता है और इसके लिये प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, हमें और भी काफी बड़ी योजना बनानी होगी और उसे कार्यान्वित करने के लिये सम्मिलित रूप से प्रयत्न करना होगा। हम सब लोगों को यह कोशिश करनी चाहिये कि जितनी भी जल्दी सम्भव हो हम विकास की इस अवस्था में पहुंच जायं।

अन्त में, मैं वित्त विभाग के उन अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस वर्ष का बजट तैयार करने में यथावत् योग्यता, परिश्रम और लगन से कार्य

किया। भाषा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपना कार्य हमेशा की तरह सुचारुरूप से किया तथा गवर्नमेन्ट प्रेस के अफसरों और कर्मचारियों ने भी पिछले वर्षों की तरह ठीक समय पर बजट साहित्य छापने में परिश्रम किया। ये सभी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं।

श्रीमन्, मैं १९६०-६१ का बजट पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष---अब सदन के सामने कोई कार्य नहीं है। अब हम उठते हैं और मंगलवार, तारीख १६ को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर २० मिनट पर मंगलवार, १६ फरवरी, १९६०, के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१३ फरवरी, १९६०।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२८३ एल० ए०—१९६०—८४५।